वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

शिक्षा विभाग हरियाणा

वर्ष 1973-74

प्रकाशक :
निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा

विषय विवर्णिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	रिपोर्ट की समीक्षा	(i)–(v)
1.	सामान्य सार	1–7
5.	शिक्षा का प्रशासन एवं संगठन	8–10
3.	स्कूल शिक्षा	11–18
4.	महाविद्यालय शिक्षा	19–23
5.	शिक्षक प्रशिक्षण	24–26
6.	समाज शिक्षा	27–29
7.	महिला शिक्षा	30–34
8.	शिक्षा सुधार कार्यक्रम	35–41
9.	विविध	42–50
10.	परिशिष्ठ	क, ख तथा ग

शिक्षा विभाग हरियाणा की वर्ष 1973-74 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

शिक्षा विभाग की गति विधियों की यह समीक्षा रिपोर्ट 1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि की है। इस अवधि में प्राथमिक, माध्याभिक, उच्च तथा उच्चतर-माध्यमिक स्तर पर और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है तथा उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार संबंधी कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है। इस वर्ष में विभाग की प्रमुख क्रियायें इस प्रकार रहीं :--

1. वर्ष 1973-74 में शिक्षा विभाग का कुल वजट (फाईनल ग्रान्ट) 2216.63 लाख रुपये का था जिसमें योजना स्तर पर 490.63 लाख रुपये और योजनेतर स्तर पर 1726.00 लाख रुपये का था।

2. राज्य हरिजन कल्याण योजना के अन्तर्गत स्कूल स्तर पर हरिजन और अन्य पिछड़े वर्ग और विमुक्त जातियों को, और भारत सरकार की ओर से पोस्ट मैट्रिक स्तर पर अनुसूचित जातियों और अन्य वर्गों को छात्रवृत्तियां और परीक्षा फीस की पूर्ति के लिये वर्ष 73-74 में 56.26 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था थी।

3. भिन्न-भिन्न स्तर पर शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 73-74 में 16.80 लाख थी। यह संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा 0.79 लाख अधिक है। केवल प्राथमिक स्तर पर 68,122 छात्रों की वृद्धि हुई है।

4. रिपोर्टधीन अवधि में स्कूल स्तर पर छात्र संख्या में विशेष वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप 6-11, 11-14, 14-17 आयु वर्ग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत अनुपात पिछले वर्ष की अपेक्षा और अधिक हो गया है। प्राथमिक स्तर पर 6-11 वर्ष के आयु वर्ग के 68.1 प्रतिशत माध्यमिक स्तर

पर 11–14 वर्ष के आयु वर्ग के 45.8 प्रतिशत तथा उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 14–17 वर्ष आयु वर्ग के 28.7 प्रतिशत बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की। मिडल और उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत अनुपात भारत के औसत प्रतिशत अनुपात से भी काफी ऊंचा रहा है।

5. रिपोर्टाधीन अवधि में एक राजकीय शिक्षा महाविद्यालय भिवानी में तथा दो अराजकीय महिला महाविद्यालय नरवाना तथा यमुनानगर में स्थापित हुए।

6. राजकीय महाविद्यालय रोहतक, महेन्द्रगढ़ तथा नारनौल में कई और विषयों के अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध की गई।

7. राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद में सायंकालीन कक्षाएं आरम्भ की गई।

8. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत 2800 जे0 बी0 टी0 अध्यापकों और 600 बी0 एड0 अध्यापकों के पद स्टाइपिन्डरी आधार पर सृजन किये गये।

9. महाविद्यालय स्तर पर 107 पद स्वीकृत किये गये जिन में से एक पद प्राचार्य का तीन पद प्रोफेसर के 13 पद ज्येष्ठ व्याख्याताओं के तथा 48 पद व्याख्याताओं के थे।

10. स्कूल फीडिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत रिपोर्टाधीन अवधि में 3.80 लाख बच्चों को लाभ दिया गया। इस स्कीम के लिये बजट में लगभग 15.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

11. स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा के सहयोग से राज्य शिक्षा संस्थान गुड़गांवा में एक पाठ्य पुस्तक कोष्ठ स्थापित किया गया और भिन्न-भिन्न विषयों के लिये पांच विशेषज्ञ नियुक्त किये गये। इस कोष्ठ द्वारा एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 की 11 पुस्तकों का संशोधन किया गया। पाठ्य पुस्तकों में सुधार करते समय इस बात पर बिशेष बल दिया गया कि भावात्मक एकता, धर्म निरपेक्षता और मानवीय आचरण संबंधी विचारों को विशेष बढ़ावा मिले।

12. इस अवधि में विद्यालयों के भवनों की विशेष मुरम्मत इत्यादि के लिये 4 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की मुरम्मत हेतु 2.50 लाख रुपये की राशि विकास विभाग के माध्यम से 29 पंचायत समितियों को भी दी गई।

13. अराजकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षा विकास कार्यों को चालू रखने तथा दूसरे कई प्रकार के अनुरक्षण निम्नलिखित अनुदान भी दिये गये :—

1.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	98.50 लाख
2.	पंजाब विश्वविद्यालय	18.94 लाख
3.	पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सैंटर रोहतक	
4.	अराजकीय महाविद्यालय	29.42 लाख

14. इस वर्ष महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तित्व तथा सर्वांगीण विकास के लिये भारत सरकार ने प्रचलित एन0 एस0 एस0 की योजना के अन्तर्गत कई उपयोगी परियोजनाएं जैसे कि ग्रामीण तालाबों को गहरा करना, सड़कों को समतल बनाना, पेड़ लगाने, गढ़ों को खोदना इत्यादि। दुर्भिक्ष के विपरित एक अभियान चलाई।

15. स्कूल स्तर पर खेल कूद क्रियाओं को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने 12,000 रुपये अनुदान के रूप में दिये। इंदौर में हुई खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा ने बास्कटबाल और कबड्डी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। मलयुद्धों में एक स्वर्ण पदक, एक रजत और ताम्र पदक जीता। कन्याओं ने जिमनास्टिक में ताम्र-पदक जीता और बास्केट बाल में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

16. शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिये राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना की हुई है। वर्ष 1973-74 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के

स्तर को और बढ़ोतरी देने के लिए इस केन्द्र में कई प्रकार की संगोष्ठियां और सैमीनार आयोजित किये गये थे। इतना ही नहीं विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों को संशोधन करने का मामला भी राज्य शिक्षा संस्थान गुड़गावां की देख रेख में विचाराधीन है। पाठ्य पुस्तकों में सुधार लाने के लिये इस बात पर भी विशेष बल दिया जा रहा है कि भावात्मक एकता, धर्म निरपेक्षता और मानवीय आचरण संबंधी विचारों को बढ़ावा मिले और हरियाणा की सांस्कृतिक और स्थानीय इतिहास और वीरों के बारे में विशेष जानकारी भी दी जाये।

17. रिपोर्टाधीन अवधि में स्कूल स्तर पर शिक्षा के स्तर को ऊंचा तथा प्रभावी बनाने के लिये राज्य के तीन हज़ार जे0 बी0 टी0 अध्यापकों को अलग-अलग 50 केन्द्रों में सेवा कालीन परीक्षण एक मास के लिये दिया गया ताकि बच्चों को नवीनतम विधियों से शिक्षित किया जा सके।

वर्ष 1972–73 तक जिन 36 उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शाला संगम की परियोजना शुरू की थी उन विद्यालयों के पुस्तकालयों, विज्ञान प्रयोगशालाओं को और सुदृढ़ करने के लिये एक–एक हज़ार रुपये की राशि दी गई जिससे उन से संबंधित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध शिक्षा की सुविधाओं का प्रयोग कर सकें।

18. विज्ञान शिक्षा के विकास के लिये युनिसिफ प्रोग्राम के अन्तंगत पायलैट स्कूल को विज्ञान किटें तथा विज्ञान की पुस्तकें बिना मूल्य के दी गई। रिपोर्टाधीन अवधि में यह परियोजना 120 प्राथमिक और 120 माध्यमिक स्कूलों में चलाई गई और इन स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी राज्य विज्ञान संस्थान करनाल द्वारा दिया जाता है।

19. रिपोर्टाधीन अवधि में राजकीय महिला महाविद्यालय रोहतक में ललित कला और समाज शास्त्र, राजकीय महाविद्यालल रोहतक में लोक प्रशासन तथा वाणिज्य और राजकीय महाविद्यालय महेन्द्रगढ़ और नारनौल में वाद्य संगीत तथा वाणिज्य विषय की शिक्षा भी आरम्भ की गई।

20. अध्यापक कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापकों और उनके आश्रितों को जो विपत्ति में हो उनको वित्तीय सहायता देने की विशेष व्यवस्था की गई। इस संबंध में राज्य में एकत्रित किये गये धन का 80 प्रतिशत भाग का प्रयोग राज्य के अध्यापकों की सहायता के लिये किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि में 22,900 रुपये की धन राशि की वित्तीय सहायता अध्यापकों तथा उनके परिवारों को दी गई। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता और अध्यापकों के बच्चों की पढ़ने के लिये छात्रवृत्तियां भी दी गई।

21. किसान प्रौढ़ साक्षरता योजना ज़िला रोहतक, हिसार, गुड़गांवां, करनाल और अम्बाला में चलाई जा रही है। प्रत्येक ज़िलों में 60–60 केन्द्र खोलने की व्यवस्था है और हर केन्द्र में लगभग 30 प्रौढ़ों को न केवल पढ़ाना लिखाना ही सिखाया जाता है अपितु उनको कृषि सबंधी विशेष जानकारी भी दी जाती है।

22. समाज शिक्षा योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम ज़िला जींद और महेन्द्रगढ़ में चलाया जा रहा है। इन ज़िलों के चलते फिरते स्क्वैड लोगों को शिक्षित करते हैं। इन केन्द्रों में शिक्षा देने का समय लोगों की सुविधा अनुसार रखा जाता है। महिलाओं के लिये यह केन्द्र दोपहर बारह बजे से पांच बजे तक, पुरूषों के लिये 5 बजे से रात्रि के दस बजे तक चलते हैं। राज्य में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम महाराष्ट्र के नमूने के अनुसार अम्बाला, करनाल, रोहतक, कुरूक्षेत्र, भिवानी और सोनीपत में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक ज़िले से चुने हुए 100 गांवों में प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिये प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को लगाया जाता है।

कुलवंत सिंह,
आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग

अध्याय प्रथम

सामान्य सार

1.1 प्रस्तुत प्रशासनिक रिपोर्ट शिक्षा विभाग के वर्ष 1973-74 को शिक्षा गतिविधियों से सम्बन्धित है। यह हरियाणा राज्य स्थापित होने के बाद आठवीं रिपोर्ट है।

1.2 पहली अगस्त, 1973 को हरियाणा में स्थित विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की संख्या तथा उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही —:

संस्था का प्रकार	संस्थाओं को संख्या	छात्रों को संख्या (लाखों में) लड़के	लड़कियां	कुल
प्राथमिक पाठशालायें	5131	4.26	1.83	6.09
माध्यमिक पाठशालायें	777	1.84	0.72	2.56
उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालायें	1098	5.55	1.88	7.43
जे0 बी0 टी0 संस्थायें	9			
महाविद्यालय	102	0.56	0.16	0.72
विश्वविद्यालय	1			
पोस्ट ग्रेजुएट रिजनल केन्द्र	1			
	योग	12.21	4.59	16.80

स्तर अनुसार छात्रसंख्या :—

1.3 अगस्त, 1973 में स्तर अनुसार छात्रसंख्या इस प्रकार रही :—

स्तर	छात्रसंख्या (लाखों में)		
	लड़के	लड़कियां	कुल
प्राथमिक स्तर	7.21	3.17	10.38
माध्यमिक स्तर	2.81	0.85	3.66
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर, जे0 बी0टी0 कक्षायें	1.63	0.41	2.04
महाविद्यालय विश्व विद्यालय स्तर	0.56	0.16	0.72
कुल	12.21	4.59	16.80

प्राथमिक कक्षाओं में 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है परन्तु फिर भी हरियाणा समस्त भारत के इस आयु वर्ग की छात्रसंख्या में औसत अनुपात के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। इस का कारण यह है कि हरियाणा के लोग अभी भी रुढ़िवादी विचारों के है। राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए तथा अधिक से अधिक संख्या में लड़कियों और हरिजन बच्चों को स्कूलों में प्रविष्ट कराने के लिए राज्य सरकार ने कई सुविधायें उपलब्ध की। वर्ष 1973–74 में 73,440 रुपये की पाठय पुस्तकें/लेखन सामग्री ऐसे बच्चों में बांटी गई। 1973–74 में माध्यमिक और उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रसंख्या में होने वाली वृद्धि सन्तोषजनक रही। इस प्रकार वर्ष 11 से लेकर 14 और 14 से 17 वर्ष के आयु वर्ग में प्राप्त करने वाले छात्रों का औसत अनुपात समस्त भारत के औसत अनुपात से भी काफी ऊंचा रहा।

शिक्षकों की संख्या :–

1.4 रिपोर्टाधीन अवधि में अगस्त, 73 को हरियाणा राज्य में प्रबन्ध अनुसार कार्य करने वाले शिक्षकों की कुल संख्या इस प्रकार रही :–

(क) स्कूल स्तर पर :–

	पुरुष	स्त्रीयां	कुल
अराजकीय विद्यालय	2208	1570	3778
राजकीय विद्यालय	30426	11701	42127
कुल योग	32634	13271	45905

सरकार का शिक्षा पर व्यय
(1973-74)

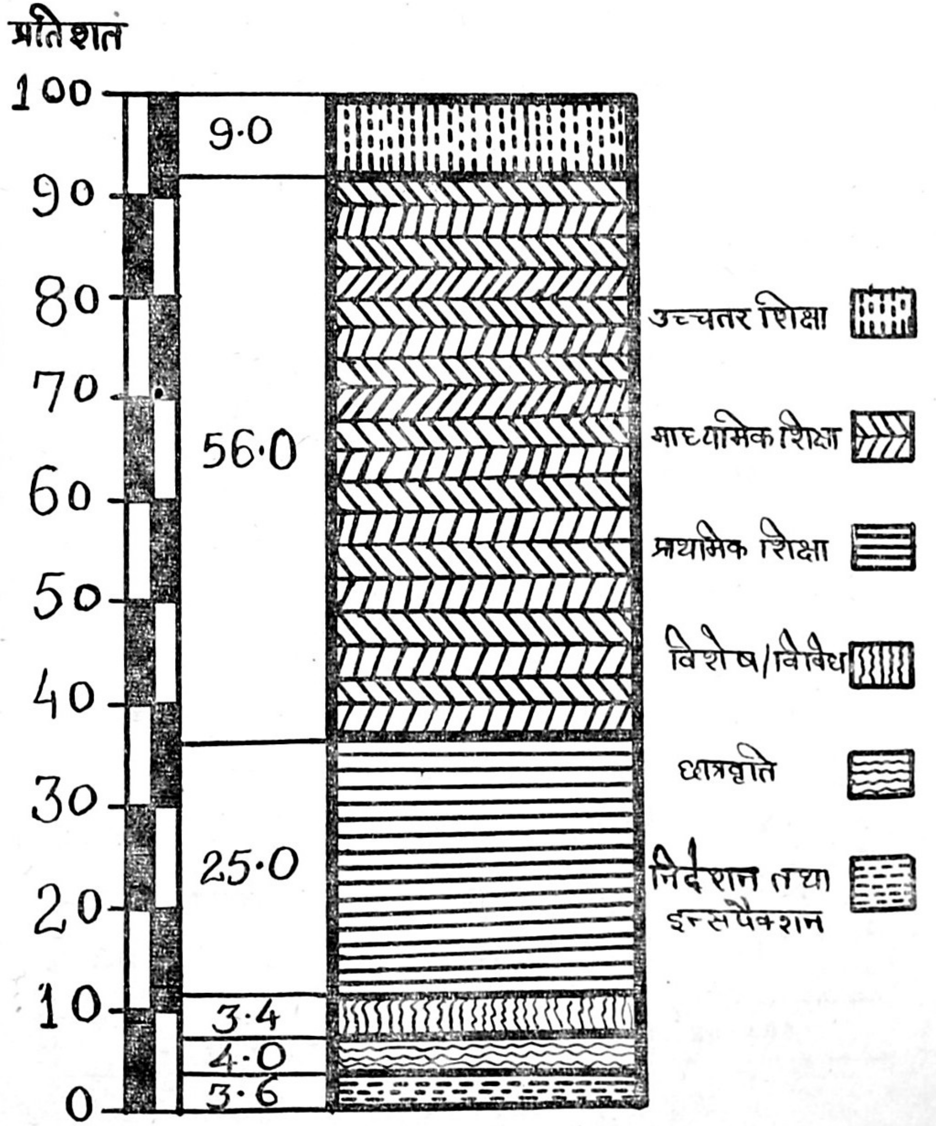

(ख)उच्चशिक्षा स्तर पर :–

	पुरुष	स्त्रीयां	कुल
अराजकीय संस्थाएं	1684	447	2131
राजकीय संस्थाएं	548	168	716
विश्व विद्यालय तथा अन्य	199	15	214
योग	2431	630	3061

शिक्षा पर हुआ व्यय :–

1.5 शिक्षाविभाग का वर्ष 1973–74 का कुल बजट व खर्चा (संशोधित अनुमान)

(क) प्रत्यक्ष व्यय

(राशी लाखों में)

मद	योजनेतर	योजना	कुल
1– उच्चतर शिक्षा	138.69	61.56	200.25
2– माध्यमिक शिक्षा	1040.30	201.42	1241.72
3– प्राथमिक शिक्षा	425.92	128.57	554.49
4– विशेष (स्पैशल)	5.73	6.11	11.84
5– विविध	12.97	28.73	41.70
जोड़ (प्रत्यक्ष व्यय)	1623.61	426.39	2050.00

परोक्ष व्यय

6–	छात्रवृत्ति वजीफे इत्यादि और हरिजन विद्यार्थियों को अनुदान	44.65	46.19	90.84
7–	निदेशन	20.19	6.54	26.73
8–	इन्सपैकशन	37.55	11.51	49.06
	जोड़(परोक्ष व्यय)	102.39	64.24	166.63
	कुल जोड़ (प्रत्यक्ष तथा परोक्ष व्यय	1726.00	490.63	2216.63

महाविद्यालय शिक्षा :–

1.6 रिपोर्टाधीन अवधी में 2 नये अराजकीय महाविद्यालय तथा एक राजकीय महाविद्यालय स्थापित हुए। कुछ राजकीय महाविद्यालयों में नए विषयों के अध्ययन की शिक्षा आरम्भ की गई है ।

रिपोर्टाधीन अवधि में कुरूक्षेत्र विश्व विद्यालय को 98.5 लाख रुपए की राशी अनुदान के रुप में दी गई । पंजाब विश्व विद्यालय चण्डीगढ़ को 18.95 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए । इस के अतिरिक्त वर्ष 1973–74 में 29.42 लाख रुपए अराजकीय महाविद्यालयों को भिन्न–भिन्न प्रकार के अनुदानों के रूप में दिए।

जिला स्तर पर प्रशासन :–

1.7 जिला में स्थित सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का प्रशासनिक तथा शैक्षणिक नियन्त्रण जिला शिक्षा अधिकारियों के पास है ।

छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता :–

1.8 इस अवधि में भिन्न–भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों

को भिन्न–भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत कई प्रकार की वित्तीय सहायता तथा छात्र वृत्तियां भी दी गइ।

भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना :–

महाविद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1973–74 में 5,49,885/–रुपए की राशि 689 छात्रों को नई तथा नवीकरण की गई छात्रवृत्तियों हेतू वितरण की गई ।

प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय तथा राजकीय छात्रवृत्ति देना :–

भारत सरकार हरियाणा राज्य के अध्यापकों के बच्चों को भिन्न–भिन्न परीक्षाओं के आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 8 नई छात्रवृत्तियां देती है। राज्य सरकार ने भी वर्ष 1971–72 से 10 अतिरिक्त छात्रवृत्तियाँ देने का निर्णय लिया है। वर्ष 1973–74 में भारत सरकार की ओर से कुल 23 छात्रवृत्तियों के लिए 36 हज़ार रुपए की व्यवस्था थी और राज्य सरकार की ओर से 24 छात्रवृत्तियों के लिए 24.600/–रुपए की व्यवस्था की गई थी।

सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरयाणवी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

इस योजना के अधीन वर्ष 1973–74 में सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले 760 हरियाणवी छात्रों को 14.00 लाख रुपए की छात्रवृत्तियां दी गई ।

राष्ट्रीय ऋण छत्रवृत्ति योजना :–

ऋण छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1963–64 से चालू की गई थी कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले गरीब माता पिता के योग्य बच्चों को जिन को कोई अन्य छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता न मिलती हो, ऋण के अधार पर छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई थी । वर्ष 1973–74 में 4,10,000/– रूपये की राशि की व्यवस्था 560 छात्रों के लिए की गई थी ।

महाविद्यालयों में राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना :–

हरियाणवी योग्य छात्रों को राज्य की मैट्रिक उपरान्त संस्थाओं में पढ़ने के लिए योग्यता छात्रवृत्तियां दी गई। वर्ष 1973–74 में कुल 3,19,800 रुपए की राशि की व्यवस्था की गई और 492 छात्रों ने इन छात्रवृत्तियों से लाभ उठाया।

स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए योग्यता छात्रवृत्तियां :–

राज्य सरकार की ओर से माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को 10/–रुपए मासिक और उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को 15/– रुपए मासिक की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्तियां योग्यता के अधार पर दी जाती हैं। इन छात्रवृतियों के लिए क्रमशः 2,90,520 रुपए 2,65,560/–रुपए की व्यवस्था की गई थी :

ग्रामीण क्षेत्र के सुयोग्य छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर भारत तथा राज्य सरकार की ओर से दो-दो छात्रवृतियां प्रतिविकास खण्ड में दी जाती हैं।

छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए इस छात्रवृत्ति की दर 1,000 रुपये वार्षिक और दैनिक छात्रों के लिए 500 रुपये वार्षिक है।

वर्ष 1973-74 में जिन छात्रों ने चुने हुये स्कूलों के अतिरिक्त दूसरे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की उन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को निम्नलिखित दर से छात्रवृतियां दी गई :–

1–स्कूल जहां की फीसें दी जाती हैं।	250/–रुपये वार्षिक
2–स्कूल जहां की फीस नहीं ली जाती।	150/–रुपये वार्षिक

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 में 3.50 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां :–

नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षा में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को 10/- रुपये

प्रति मास की दर से 20 नई छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष भारत सरकार की ओर से दी जाती हैं । इन छात्रवृत्तियों की दसवीं और ग्यारहवीं में नवीकरण किया जाता है। इसके लिये 6,000 रुपये की राशि की व्यवस्था की ।

तेलगू भाषा पढ़ने के लिए छात्रवृत्तियां

हरियाणा में सातवीं कक्षा में तेलगू भाषा की शिक्षा भी तीसरी भाषा के रुप में दी जाती है । वर्ष 1973-74 में 10 रुपए प्रति मास की दर की 153 छात्रवृतियां सातवीं कक्षा में तथा 102 छात्रवृत्तियां आठवी कक्षा के लिए उपलब्ध हैं और 30,600/-रूपये की राशि की व्यावस्था की गई।

भाषाई अल्प संख्याओं को विशेष सुविधा :-

1.9 भाषाई अल्प संख्याओं को विद्यालयों में अपनी भाषा को अतिरिकत विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा रखी गई यदि किसी कक्षा में कम से कम 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी भाषा पढ़ने की इच्छा रखते हों।

प्रांतीयकृत जे0 एस0 टी0 अध्यापकों को 220/400 रूपये का ग्रेड देना :-

सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार प्रान्तीयकृत जे0 एस0 टी0/जे0 ए0 वी0 टीचरों को बी0 ए0 बी0 एड0 मास्टरों का 220/400 रुपए का ग्रेड तथा उन को इस काडर में रखने का निर्णय लिया ।

प्राथमिक कक्षाओं के लिए ग्यारह नई पुस्तकें लिखी गई वह पहली से पांचवी तक की हिन्दी, तीसरी, चौथी तथा पांचवी के लिए सामाजिक शिक्षा एवं साधारण विज्ञान की हैं।

अध्याय दूसरा

शिक्षा विभाग का प्रशसन एवं संगठन

2.1 वर्ष 1973–74 में श्री माड़ू सिंह मलिक, शिक्षा मंत्री के पद पर और श्रीमती प्रसन्नी देवी, राज्य शिक्षा मंत्री के पद पर आरुढ़ रहे।

(क) **सचिवालय स्तर :–**

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के पद का कार्यभार श्री पी0 एल0 छावड़ां, मिस मीरां सेठ तथा श्री कुलवन्त सिंह, आई0 ए0 एस0, अधिकारियों के पास थोड़े थोड़े समय के लिए रहा। कार्य में उन को सहायता के लिए उपसचिव (शिक्षा) तथा अवर सचिव शिक्षा के पदों पर भी आई0 ए0 एस0 और एच0 सी0 एस0 अधिकारीयों ने सहायता की।

(ख) **निदेशालय स्तर :–**

रिपोर्टाधीन अवधि में श्री जी0 वी0 गुप्ता, आई0 ए0 एस0, निदेशक, शिक्षा विभाग के पद पर रहे। निदेशालय स्तर पर निम्नलिखत अन्य पदों पर लगे अधिकारियों ने निदेशालय के कार्य को, सुचारू रुप से चलाने के लिए सहयोग दिया :–

1	संयुक्त निदेशक, शिक्षा, एच0 ई0 एस0 (1)	1
2	उप निदेशक, शिक्षा, एच0 ई0 एस0 (1)	3
3	प्रशासन अधिकारी,	1
4	सहायक निदेशक, एच0 ई0 एस0 (II)	8
5	लेखा अधिकारी	2
6	रजिस्ट्रार	1
7	बजट अधिकारीं	1
8	सहायक पुरातत्व अधिकारी	1
9	सहायक रजिस्ट्रार परीक्षा	1

जिला प्रशासनः–

2.2 राज्य में कुल 10 जिले हैं और प्रत्येक ज़िला में शिक्षा के प्रशासन/नियन्त्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिलों में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कार्यन्वित करने के लिए उत्तरदायी है।

उप मण्डलों में शिक्षा के प्रशासन/शिक्षा संस्थाओं के नियन्त्रण के लिए उप मण्डल शिक्षा अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं, जो कि जिला शिक्षा अधिकारियों के अधीन कार्य कर रहे हैं।

विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी विकास तथा निरीक्षण के लिए प्रत्येक जिला में एक-एक सहायक जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक) जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं। वह जिला में शारीरिक शिक्षा तथा भिन्न–भिन्न खेलों आदि के विकास के लिए उत्तरदायी हैं।

माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उन की रुचियों के अनुसार भविष्य में व्यवसायिक आदि के चुनाव में मार्गदर्शन देने के लिए जिला स्तर पर एक–एक सहायक मार्गदर्शन परामर्शदाता भी नियुक्त किया हुआ है जो कि विद्यालयों में जा कर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने में सहायता देता है।

31-3-~~73~~ 24 की स्थिति अनुसार निदेशालय तथा जिला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का ब्योरा परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिया गया है। श्रेणी I, II के कुल पदों की सूची परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

खण्ड स्तरः –

2.3 राज्य में स्थित सभी 5131 प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण तथा प्रशासन की सुविधा के लिए 117 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने–अपने खण्ड में स्थित प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।

विद्यालय प्रशासन :-

2.4 राज्य शिक्षा विभाग के नियन्त्रण के अधीन दो प्रकार के विद्यालय शिक्षा सुविधाओं को उपलब्ध कर रहे हैं।

1. अराजकीय विद्यालय
2. राजकीय विद्यालय

उप मण्डल/जिला शिक्षा अधिकारियों के मार्गदर्शन निरीक्षण में मुख्याध्यापक/प्रधानचार्य शिक्षा संस्थाओं का प्रशासन/अध्यापनकार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उन की अपनी स्थानीय प्रबन्धक समितियों द्वारा चलाया जाता है। इन सभी विद्यालयों में भी शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही शिक्षा दी जाती हैं। यह विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं तथा शिक्षा विभाग इन विद्यालयों को चलाने के लिए हर वर्ष वित्तीय सहायता/अनुदान भी देता है। इन सभी विद्यालयों में अध्यापन कार्य का निरीक्षण जिला उप मण्डल शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

विश्व विद्यालय/महाविद्यालय :-

2.5 राजकीय महाविद्यालयों का प्रशासन/निरीक्षण शिक्षा विभाग द्वारा ही किया जाता है। अराजकीय महाविद्यालय का कार्य उनकी अपनी प्रबन्धक समितियां ही चलाती है। राज्य में स्थित सभी महा विद्यालय अपने संवद्धित विश्व विद्यालय की शिक्षा नीति को अपनाते हैं।

कुरुक्षेत्र में स्थित इस समय राज्य में केवल एक ही विश्व-विद्यालय है। रिपोर्टाधीन अवधि में इस विश्व-विद्यालय के साथ केवल वहां के स्थानीय महा-विद्यालय ही संवद्धित है। ऐसे कुल 24 महा-विद्यालय हैं। राज्य के बाकी सभी महा विद्यालय पंजाब विश्व-विद्यालय चण्डीगढ़ से संवद्धित है।

अध्याय तीसरा

विद्यालय शिक्षा

3.1 राष्ट्र का विकास शिक्षा के विकास पर आश्रत है इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में पिछले आठ वर्षों से विद्यालय शिक्षा के विकास पर ध्यान दिया गया है। फलस्वरूपता शिक्षा सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है :—

:—शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि :—

3.2 चौथी पंच वर्षीय योजना में शिक्षा की सुविधाओं के विकास में न केवल निर्धारित लक्ष्यों की ही पूर्ति की गई, अपितु हर स्तर पर शिक्षा की सुविधाओं में विशेष विस्तार हुआ ।

1–8–1973 को हरियाणा में अराजकीय तथा राजकीय विद्यालयों की संख्या निम्नलिखित थी :—

संस्था का प्रकार	राजकीय	अराजकीय	कुल
पूर्व प्राथमिक विद्यालय	6	1	7
प्राथमिक विद्यालय	5063	68	5131
माध्यमिक विद्यालय	746	31	777
उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	900	198	1098

रिपोर्टाधीन अवधि में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं 6.56 वर्ग किलोमीटर के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपलब्ध हैं। माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएं प्रत्येक 24.10 वर्ग किलोमीटर तथा 40.3 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए उपलब्ध है जबकि चौथी योजना के शुरू होने से पहले प्राथमिक शिक्षा की सुविधा केवल 7.45 वर्ग किलोमीटर माध्यमिक शिक्षा 28.44 उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा की

सुविधा 50.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उपलब्ध थी ।

छात्र संख्या :–

3.3 प्रत्येक वर्ष की भांति रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा के हर स्तर पर छात्र संख्या में विशेष वृद्धि हुई है । इस वृद्धि के फलस्वरूप प्रत्येक स्तर पर अपनी आयु वर्ग की छात्र संख्यां के अनुपात में काफी वृद्धि हो गई है । रिपोर्टाधीन अवधि में प्राथमिक स्तर पर 6 से 11 वर्ष के 68.1% मिडल स्तर पर 11 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के 45.8 प्रतिशत तथा उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग के 28.7% प्रतिशत वच्चों ने शिक्षा प्राप्त की। 14 से 17 तथा 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्राप्त करने वाले उच्च/उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक स्तर पर वालकों का प्रतिशत अनुपात अखिल भारतीय औसत प्रतिशत अनुपात से काफी अधिक है जब कि प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात भारत के औसत अनुपात से अभी कम है । इस अनुपात को वढ़ाने तथा 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के शत प्रतिशत वालकों को विद्यालयों में प्रविष्ठ करने हेतू प्रत्येक वर्ष छात्र संख्या अभियान अप्रैल के मास में आयोजित किया जाता है परन्तु फिर भी इस अनुपात में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो रही है । इस का विशेष कारण यह है कि हरियाणा के लोग लड़कियों को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं हैं परन्तु फिर भी पहले से इस स्थिति में काफी सुधार हुआ है ।

रिपोर्टाधीन अवधि में अगस्त, 1973 को भिन्न–भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है।

छात्र संख्या (अगस्त, 1973)

स्तर	लड़के	लड़कियां	कुल
प्राथमिक स्तर	720960	317140	1038100
माध्यमिक स्तर	281566	84546	366112
उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर	162789	40719	203508

विभिन्न प्रकार के विधालयों की संख्या

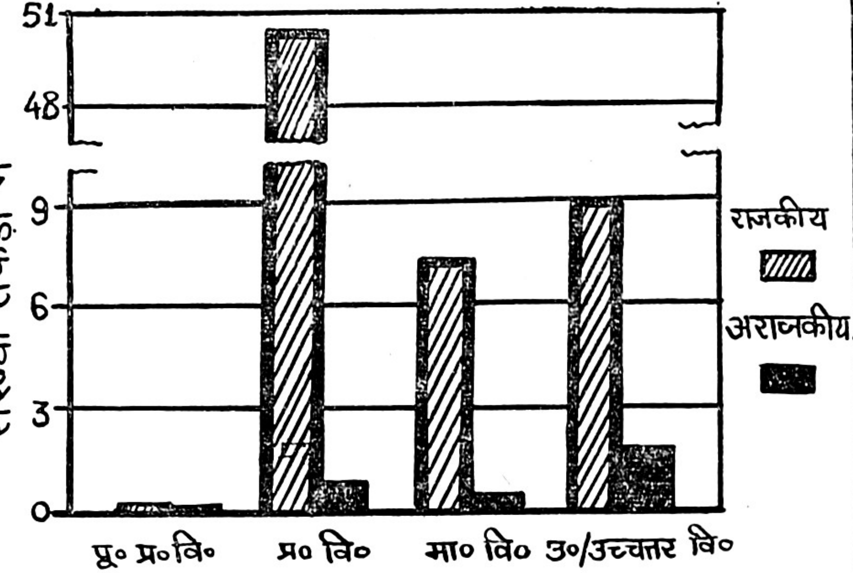

स्तर अनुसार छात्र संख्या

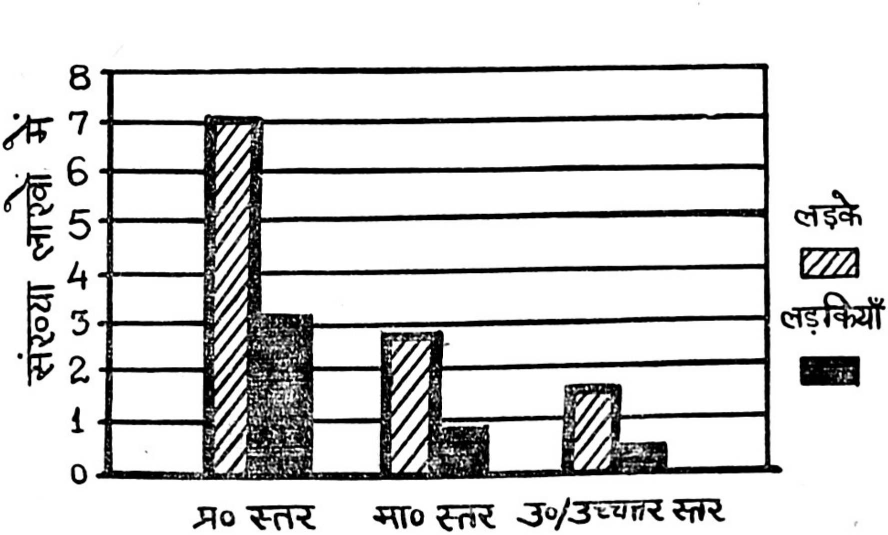

पूर्व प्राथमिक शिक्षा :-

3.4 अभी तक राज्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। शहरों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कक्षायें कुछ उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न है। राज्य में अलग पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केवल 7 विद्यालय हैं जो कि राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर स्थित है :-

1- नारनौल
2- सांपला (रोहतक)
3- नीलोखेड़ी (करनाल)
4- गुड़गांव
5- मोठ (हिसार)
6- नरवाना (जीन्द)
7- अम्बाला शहर

अध्यापक :-

3.5 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम" के अन्तंगत वर्ष 1973-74-में 2800 जे0बी0 टी0 अध्यापकों और 600 बी0एड0 अध्यापकों के पद सृजन स्टाईपैन्डरी आधार पर किए गए।

अगस्त, 1973 में हरियाणा में भिन्न-भिन्न प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या निम्नलिखित थी :-

संख्या	अध्यापक संख्या		
	पुरुष	स्त्रीयां	कुल
प्राथमिक विद्यालय	11713	4602	16315
माध्यमिक विद्यालय	5611	2352	7963
उच्च तथा उच्चतरमाध्यमिक विद्यालय	15245	6291	21536
कुल	32569	13245	45814

कुल 45814 अध्यापकों में 42036 राजकीय विद्यालयों और 3778 अराजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे थे।

अध्यापक छात्र अनुपात

3.6 प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक छात्र अनुपात 1:35 रखा हुआ है। परन्तु इस अनुपात के आधार पर नए पदों का सृजन अर्थ व्यवस्था के कारण संभव नहीं किया जा सकता इसलिए कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभाग ने सरकार को अध्यापक छात्र अनुपात 1:45 करने का सुझाव दिया है।

आदर्श स्कूल :–

3.7 हरियाणा राज्य में इस समय वैयक्तिक क्षेत्र में तीन आदर्श विद्यालय चल रहे :–

1– एस0 ए0 जैन, माडल स्कूल अम्बाला शहर।

2– सीनियर माडल स्कूल फतेहाबाद (हिसार)

3– सीनियर माडल स्कूल कुरूक्षेत्र

इन विद्यालयों में अन्य विद्यालयों की अपेक्षा फीसों की दर अधिक है ऐसी संस्थाओं को फीसों इत्यादि की आय से ही सुगमता से चलाया जा सकता है इसलिए ऐसे विद्यालयों को सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता।

दोहरीपारी प्रणाली :–

3.8 जिन विद्यालयों में भवनों की कमी है और छात्रसंख्या अधिक है वहां पर दोहरी पारी प्रणाली आरम्भ करने की अनुमति जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दे दी जाती है।

सह शिक्षा की नीति:–

3.9 हर स्तर पर तथा हर स्थान पर लड़कियों के लिए अलग

विद्यालयों का खोलना आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं होता । इसलिए ऐसे स्थानों पर जहां लड़कियों के लिए अलग माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय नहीं है लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की हुई है लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों में सहशिक्षा की व्यवस्था है ।

व्यवसायिक मार्गदर्शन सुविधा :–

3.10 माध्यमिक और उच्च तथा उच्चतर स्तर पर विद्यार्थियों को व्यवसायिक मार्गदर्शन देने के लिए विद्यालयों में कैरियर मास्टर अध्यापकों को भी नियुक्त किया जाता हैं । अध्यापकों को कैरियर मास्टर के तौर पर प्रशिक्षण देने के लिए राजकीय शिक्षा संस्थान गुड़गांव में एक विशेषज्ञ परामर्शदाता की भी नियुक्ति की हुई है ।

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान :–

3.11 अराजकीय विद्यालयों की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने हेतू सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय विद्यालयों को 11.5 लाख का अनुरक्षण अनुदान तथा 38.5 लाख रुपए कोठारी कमिशन अनुदान के रूप में दिए गए ।

भाषा निति और भाषाई अल्प संख्या :–

3.12 हरियाणा एक भाषी राज्य है और इस की भाषा हिन्दी है । यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी शिक्षा का माध्यम है ।

विद्यालयों में छठी कक्षा से अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है । विद्यालयों में राष्ट्र एवं भावात्मक एकता लाने के लिए तीसरी भाषा के रूप में दक्षिण भारत की भाषा तेलगू की शिक्षा सातवीं और आठवीं कक्षाओं में उपलब्ध की गई है । सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी

उर्दू संस्कृत तथा तेलगू में विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकता है ।

हरियाणा में भाषाई अल्प संख्यकों के हित के लिए उन्हें अपनी भाषा के अध्ययन करने का भी हरियाणा सरकार ने विशेष अधिकार दे रखा है । यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी हो तो यह अपनी भाषा को राज्य भाषा के अतिरिक्त एक विशेष भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं । ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार उन को उस विषय में शिक्षा लेने के लिए सुविधा प्रदान करती है। उन अराजकीय विद्यालयों को जिन में हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजावी था इन 19 विद्यालयों को पंजावी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिए सरकार ने विशेष अनुमती दी हुई हैं ।

तेलूग भाषा की शिक्षा :–

3.13 इस समय राज्य में 52 विद्यालय हैं जिन में तेलगू भाषा पढ़ाई जाती है अव तक कुल 55 अध्यापकों को तेलगू भाषा पढ़ाने का प्रशिक्षण मैसूर भाषा संस्थान द्वारा दिलाया गया है । तेलगू भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धियां की राशि भत्ते के रूप में प्रति मास दी जाती है । तेलगू की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में सातवीं कक्षा से दी जाती है और सातवीं और आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रति स्कूल सातवीं तथा आठवीं में तीन तीन छात्रवृत्तियां 10/– रुपए प्रति मास की दर से दो वर्ष के लिए दी जाती है ।

संस्कृत भाषा का विकास :–

3.14 संस्कृत भाषा को हरियाणा की भाषा नीति में तीसरी भाषा के रूप में सातवीं कक्षा में पढ़ाने की व्यवस्था की गई है । इस भाषा के प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई निम्नलिखित योजना को भी हरियाणा में कार्यविन्त किया जा रहा है ।

1. स्कूलों में संस्कृत के चार अध्यापक संस्कृत भाषा को शिक्षा के लिए लगाए हुए हैं।

2. संस्कृत पाठशालाओं के आधुनिकरण का भी पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है।

3. वर्ष 1973-74 में निम्नलिखित संस्कृत पाठशालाओं को संधारण अनुदान भी दिया गया।

क्रम संख्या	संख्या का नाम	राशि
1.	श्री डी0डी0के0एस0डी0 संस्कृत कालेज, अम्बाला केन्द्र	2343.00
2.	महाविद्यालय गुरुकुल झज्झर (रोहतक)	6000.00
3.	संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल माटिन्ड़ (रोहतक)	6000.00
4.	आदर्श गुरुकुल सिंहपुरा, सुन्दरपुर (रोहतक)	6000.00
5.	आदर्श हरि मन्दिर, संस्कृत महाविद्यालय, पटौदी (गुड़गांव)	1200.00
6.	श्रीमती दया नन्द गुरुकुल विद्या पीठ गदपुरी (गुड़गांव)	4164.00
7.	संस्कृत कालिज, भागोला (गुड़गांव)	5940.00
8.	गुरुकुल आर्य नगर, रुढ़ी (हिसार)	552.00
9.	गुरुकुल कुम्वा खेड़ा (हिसार)	446.00
10.	एस0डी0 संस्कृत महाविद्यालय, भिवानी	3333.00
11.	श्री हरियाणा शेखवती ब्रह्मचार्य आश्रम भिवानी	6000.00
12.	गुरुकुल विद्यापीठ हरियाणा गरुकुल भैंसवाल कलां (सोनीपत)	6000.00
13.	श्री विद्यालय धर्म प्रचारक संस्कृत विद्यालय् जुलाना (जींद)	3000.00
14.	गुरुकुल, कुरुक्षेत्र	4000.00

हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड :-

3.15 हरियाणा शिक्षा बोर्ड शिक्षा विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक श्रेणियों के लिए पाठ्यक्रम नियत करता है और पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों की स्वीकृति भी देता है ताकि विद्यालयों को निश्चित कीमत पर पुस्तकें प्राप्त हो सकें। विद्यार्थियों की उच्च तथा उच्चतर स्तर की परीक्षा लेने का कार्य भी करता है।

अध्याय चौथा

महाविद्यालय शिक्षा

महाविद्यालय की संख्या: –

4.1 रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित तीन नये महाविद्यालय स्थापित हुए :–

1. महिला महाविद्यालय, नरवाना।
2. महिला महाविद्यालय यमुनानगर।
3. राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, भिवानी।

इन तीन नए महाविद्यालयों के खुलने से राज्य में महाविद्यालयों की कुल संख्या 102 हो गई। इन में 13 शिक्षा महाविद्यालय और 89 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय हैं।

अराजकीय महाविद्यालयों का प्रबन्ध उन की स्थानीय प्रबन्धक समितियाँ चलाती हैं। राजकीय महाविद्यालयों का प्रशासनिक नियन्त्रण शिक्षा विभाग के पास है।

राज्य में प्रबन्ध अनुसार महाविद्यालयों की संख्या का विवरण इस प्रकार है :–

राज्य सरकार	प्राईवेट बोडिज	विश्वविद्यालय	कुल
14	86	2	102

छात्र संख्या:–

4.2 रिपोर्टाधीन अवधि में अगस्त, 1973 में राज्य में कुल 71,735

छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। 68,839 छात्र हरियाणा में स्थित 102 महाविद्यालयों में और शेष 2896 छात्रों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के भिन्न भिन्न अध्यापन विभागों तथा पोस्ट ग्रेजूएट रिज़नल सैन्टर, रोहतक में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन का विवरण नीचे दिया है :—

संख्या का प्रकार		छात्रों की संख्या		
		लड़के	लड़कियां	कुल
(1)	राजकीय महाविद्यालय	10599	2583	13182
(2)	अराजकीय महाविद्यालय	40933	12745	53678
(3)	विश्वविद्यालय के महाविद्यालय	1740	239	1979
(4)	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	2107	378	2485
(5)	पोस्ट ग्रेजूएट रिज़नल केन्द्र	290	121	411
	कुल	55669	16066	71735

4.3 रिपोर्टाधीन अवधि में राजकीय महाविद्यालयों में कुछ निम्नलिखित अन्य विषयों के अध्यापन की सुविधा भी छात्रों को उपलब्ध की गई :—

	विषय	महाविद्यालय
1.	ललित कला और समाज शास्त्र	राजकीय महिला महाविद्यालय रोहतक
2.	लोक प्रशासन तथा वाणिज्य	राजकीय महाविद्यालय रोहतक
3.	वाद्य संगीत तथा वाणिज्य	राजकीय महाविद्यालय महेन्द्रगढ़ तथा नारनौल

इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद में सांयकालीन कक्षायें भी आरम्भ कर दी गई ।

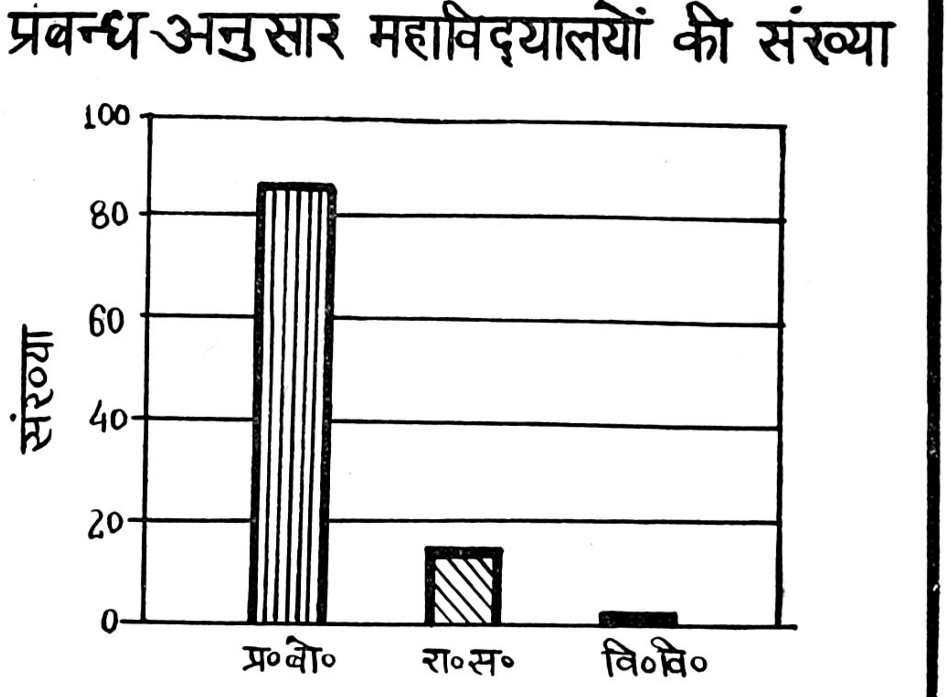
प्रबन्ध अनुसार महाविद्यालयों की संख्या
100
80
60
40
20
0
संख्या
प्र० बो०
रा० स०
वि० वि०

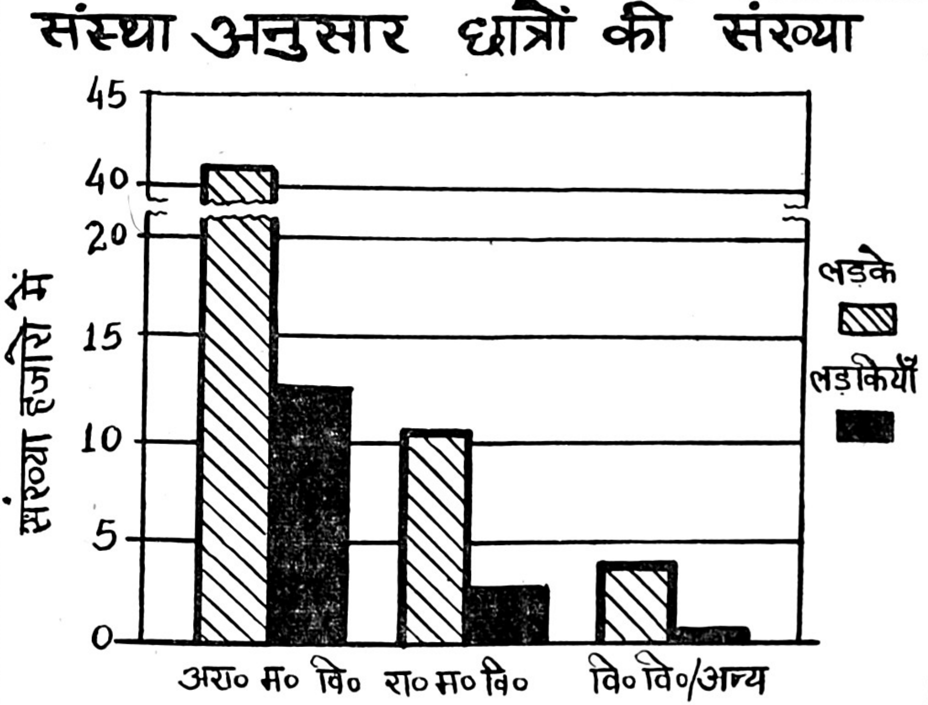
संस्था अनुसार छात्रों की संख्या
45
40
20
15
10
5
0
संख्या हजारों में
लड़के
लड़कियाँ
अरा० म० वि०
रा० म० वि०
वि० वि०/अन्य

राजकीय महा-विद्यालय में पद सृजन :–

4.4 आवश्यकतानुसार राजकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित पदों का सृजन भी किया गया–

(1)	प्रिंसीपल	1
(2)	प्रोफैसर	3
(3)	ज्येष्ठ व्याख्याता	13
(4)	व्याख्याता	48
(5)	ज्येष्ठ सहायक व्याख्याता	8
(9)	कनिष्ठ सहायक व्याख्याता	2
(7)	मुख्य लिपिक	1
(8)	सहायक	1
(9)	लिपिक	4
(10)	जुनियर लाईब्रेरियन	1
(11)	प्रयोगशाला सहायक	4
(12)	लाईब्रेरी रस्टोरर	1
(13)	टाईप राईटर अनुदेशक	3
(14)	स्टैनोटाईपिस्ट	2
(15)	तवला वादक	2
(16)	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	13
		107

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय :-

4.5 कुरुक्षेत्र विश्वविदयालय से रिपोर्टाधीन अवधि में केवल निम्नलिखित तीन ~~चार~~ महाविद्यालय ही सम्बद्ध रहे :-

(1) यूनिवर्सिटी महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र

(2) ~~राजकीय~~ शिक्षा महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र

~~(3) राजकीय महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र~~

(3) कृषि महाविद्यालय, कोल

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 30 जुन, 1974 से राज्य के सभी राजकीय तथा अराजकीय महाविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविदयालय से सम्बदध कर दिये जायेगें। इस विश्वविदयालय में विद्यार्थियों को निम्नलिखित विषयों में एम0 ए0 तक के अध्ययन करने की सुविधायें भी उपलब्ध हैं :-

संस्कृत, प्राकृत, प्राचीन भारतीय इतिहास तथा सभ्यता, पुरातत्व विद्या, दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन तथा धर्म शास्त्र अंग्रेजी, हिन्दी पुस्तकालय विज्ञान आधुनिक विदेशी भाषायें, रसायन तथा भौतिक विज्ञान, गणित आदि दो प्राणी शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनैतिक विज्ञान, विधि शास्त्र तथा वाणिज्य इत्यादि।

पिछले कुछ वर्षों से इस विश्वविद्यालय में अनुसंधान की सुविधाओं में विशेष प्रसार हुआ है।

4.6 पंजाब विश्वविद्यालय :-

(क) पंजाब विश्वविद्यालय से एक सम्वद्ध विश्वविद्यालय है जो कि केन्द्रीय क्षेत्र चण्डीगढ़ में स्थित है। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य के सभी 97 महाविद्यालय उस से सम्बद्ध रहे। यह सभी पंजाब विश्वविद्यालय की शिक्षा नीति को अपनाते रहे ।

(ख) पोस्ट ग्रेजुएट रिजनल केन्द्र रोहतक में भी विद्यार्थियों को एम0 ए0 के कुछ विषयों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध रही है। यह केन्द्र पंजाब विश्वविद्यालय के नियन्त्रण में चल रहा है जो कि अब सरकार के निर्णय के अनुसार 30 जून, 1974 से कुरुक्षेत्र विश्वविदयालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में आ गया है। इस केन्द्र में अगस्त, 73 में कुल 411 विद्यार्थी उच्च शिक्षा की सुविधायें प्राप्त कर रहे थे।

4.7 रिपोर्टाधीन अवधि में राजकीय महाविद्यालयों में फीसों की दर निम्नलिखित रही :-

कोर्स	फीस की दर
प्रैप, प्री इन्जीनियरिंग/प्री-मैडीकल, टी0डी0 सी0पार्ट-1	15/-रुपये मासिक
टी0डी0सी0 पार्ट-11 तथा 111	17/रुपये मासिक
एम0ए0	22/-रुपये मासिक
बी0एड0	20/-रुपये मासिक

विश्वविद्यालयों तथा अराजकीय महाविद्यालयों को अनुदान :-

4.8 इस अवधि में राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विकास कार्यों को चालू रखने के लिए अनुदान तथा अन्य वित्तीय सहायता भी दी जिस का विवरण इस प्रकार है :-

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	98,50,000 रुपये
पंजाब विश्वविद्यालय	18,94,500 रुपये
अराजकीय महाविद्यालय	29,41,665 रुपये

अध्याय पांचवा

शिक्षक प्रशिक्षण

5.1 अध्यापक के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर ही शिक्षा का स्तर निर्भर है। व्यवसायिक दक्षता के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

1. सेवा काल से पूर्व

2. सेबाकालीन (सेबा अवधि के दौरान)

सेवा काल से पूर्व का प्रशिक्षण व्यक्ति को व्यवसायिक जीवन के लिए निर्मित करता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण से अध्यापक को नवीनतम शिक्षा प्रवृत्तियों और शैक्षणिक रीति विज्ञान का परिचय प्राप्त होता है।

सेवाकाल से पूर्व का प्रशिक्षण :-

5.2 रिपोर्टाधीन अवधि में भिन्न-भिन्न वर्गों के अध्यापकों के लिए राज्य में निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की कक्षाएं चालू रही।

1. जे0बी0 टी0 प्रशिक्षण कक्षाएं प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों के लिए।
2. बी0एड0 प्रशिक्षण माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापकों के लिए।
3. एम0एड0

नर्सरी तथा ओ0टी0 प्रशिक्षण अध्यापकों की संख्या पर्याप्त होने के कारण इस प्रशिक्षण की कक्षाएं वर्ष 1973-74 में बन्द कर दी गई है।

जे0 बी0 टी प्रशिक्षण की कक्षाएं :

5.3 जे0बी0टी0 प्रशिक्षण कक्षाएं निम्नलिखित राजकीय विद्यालयों में चालू रही। हर संस्था को 80 विद्यार्थियों को प्रविष्ट करने की अनुमति दी गई थी।

1. राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, नारायणगढ़ (अम्बाला)
2. राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, छछरौली (अम्बाला)
3. राजकीय जे0बी0 टी0 स्कूल, कुरुक्षेत्र।
4. राजकीय जे0 बी0 टी0 स्कूल, खूंगाकोठी (जींद)
5. राजकीय जे0 बी0 टी0 स्कूल, बहादुरगढ़ (रोहतक)
6. राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, दुजाना (रोहतक)
7. राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, फरीदाबाद (गुड़गांव)
8. राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, राखीशाहपुर (हिसार)
9. राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, पावड़ा (हिसार)

बी0 एड0 प्रशिक्षण की कक्षाएं :-

5.4 रिपोर्टाधीन अवधि में माध्यमिक तथा उच्च, उच्चतर कक्षाओं के लिए अध्यापक प्रशिक्षण की कक्षायें राज्य में 13 शिक्षा महाविद्यालय में चालू रहीं। इन महाविद्यालयों में 1173 लड़के और 1189 लड़कियों ने प्रवेश प्राप्त किया।

एम0 एड0 कक्षाएं :-

5.5 राज्य में एम0एड0 शिक्षा की सुविधाएं केवल राव बीरेन्द्र सिंह शिक्षा महाविद्यालय रिवाड़ी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं। इन दोनों संस्थाओं में वर्ष 1973-74 में 15 लड़के और 15 लड़कियों ने एम0 एड0 प्रशिक्षण में प्रवेश प्राप्त किया।

सेवाकालीन प्रशिक्षण :-

रिपोर्टाधीन अवधि में विभाग ने प्राथमिक अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया जिसके अनुसार 3000 अध्यापको को अलग-अलग 50 केन्द्रों में सेवाकालीन प्रशिक्षण एक मास के लिए दिया गया। सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए यह केन्द्र राज्य में उच्च/उच्चतर

माध्यमिक और जे0बी0टी0 विद्यालयों में स्थापित किए गए। प्राथमिक अध्यापकों को दिया जाने वाला यह प्रशिक्षण प्राथमिक प्रसार सेवा प्रोजैक्ट राज्य शिक्षा संस्थान गुड़गांव की देख रेख में हुआ।

राज्य में तीन विस्तार सेवा केन्द्र कुरुक्षेत्र, रोहतक और गुड़गांव में हैं। वर्ष 1973-74 में इन केन्द्रों के लिए लगभग 46,000 रुपए की व्यवस्था की गई थी विस्तार सेवा विभाग कुरुक्षेत्र का प्रशासनिक नियन्त्रण यद्यपि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को दे दिया था परन्तु इसका खर्च राज्य सरकार ने ही दिया। इसके अतिरिक्त 8,000 रुपए की राशि रोहतक और कुरुक्षेत्र के केन्द्रों को प्रत्यासमरण पाठ्यक्रमों जैसे स्कूल पुस्तकाध्यक्ष/विद्यालय प्रशासन इत्यादि के आयोजनों के लिए दी गई।

अध्याय छटा

समाज शिक्षा

6.1 पिछली दसाब्दी में 1961–71 हरियाणा राज्य की साक्षरता में लगभग 6.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता 26.6 प्रतिशत है जबकि 1961 में केवल 19.9 प्रतिशत थी। आज भी राज्य की 73.4 प्रतिशत जनता अशिक्षित है । इनको शिक्षित करने के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य में कई प्रकार की समाज शिक्षा परियोजनायें आरम्भ की हुई हैं ताकि आधुनिक युग के ज्ञान को इन लोगों तक पहुंचाया जा सके । इस समय राज्य में प्रौढ़ शिक्षा के लिए तीन प्रकार की परियोजनाएं चल रही हैं ।

1. समाज शिक्षा केन्द्र
2. किसान साक्षरता योजना
3. ग्राम शिक्षा मुहिम

समान शिक्षा केन्द्र :–

6.2 यह शिक्षा केन्द्र अभी जिला जींद और महेन्द्रगढ़ में ही चल रहें हैं । इन ज़िलों में चुने हुए गांवों में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य किया जाता है। इन गांवों में चलते फिरते शिक्षा सुकैड लोगों को शिक्षित करते हैं । एक सुकैड में लगभग 29 अध्यापक होते हैं जिनमें पुरुष तथा स्त्रीयां भी सम्मिलित हैं । इन समाज शिक्षा केन्द्रों के निरीक्षण का कार्य दो अधिकारियों द्वारा किया जाता है । जिनमें एक मुख्य (हैड) सुकैड तथा महिला निरीक्षण अधिकारी होते हैं । यह दोनों अधिकारी इन केन्द्रों को सफलता पूवक चलाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को अपने कार्य के लिए उत्तरदायी हैं । इन केन्द्रों मे शिक्षा देने के कार्य का समय लोगों की सुविधा के अनुसार रखा जाता है । महिलाओं के लिए यह केन्द्र दोपहर बारह बजे से सांय 5 बजे तक चलाए जाते हैं । पुरुषों

के लिए सांय 5 बजे से रात्री के 10 बजे तक के समय में चलाए जाते हैं। इन केन्द्रों में साधारणतः निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए ।

1. शिक्षा तथा कार्य प्रशिक्षण
2. खेलकूद तथा अन्य विनोद क्रियायें इत्यादि
3. समाज सेवा
4. चर्चा तथा प्रवचन

महिलाओं के केन्द्र में पढ़ने लिखने के अतिरिक्त घरेलू लाभदायक शिल्पों का ज्ञान भी दिया जाता है । गृह कार्य में निपुणता के लिए पौष्टिक खुराक को तैयार करने की भी पूरी–पूरी जानकारी दी जाती है । यह केन्द्र एक स्थान पर प्रायः 6 मास तक वहां की जनता को शिक्षा देते हैं तथा वहां की जनता के अनुरोध पर इन केन्द्रों की अवधि में 3 मास और बढ़ाने की भी अनुमति प्रायः दे दी जाती है ।

किसान साक्षरता योजना :

6.3 यह परियोजना वर्ष 1969–70 में सबसे पहले रोहतक ज़िले में आरम्भ की गई थी अब इस योजना का विस्तार, हिसार, गुड़गांव, करनाल, और अम्बाला ज़िलों में भी कर दिया गया है । इसके अन्तर्गत हर ज़िले में 60 केन्द्र बनाए गए हैं । हर केन्द्र में लगभग 30 प्रौढ़ों को शिक्षित करने की व्यवस्था की जाती है। सारे राज्य में 300 केन्द्रों का प्रावधान है और 9,000 प्रौढ़ों को शिक्षित करने की व्यवस्था है ।

ग्रामीण जनता को न केवल पढ़ने लिखने योग्य ही बनाया जाता है अपितु कृषकों की कृषि सम्बन्धी विशेष जानकारी भी दी जाती है उन्हें कृषि करने और उपज बढ़ाने के अनेक नए–नए ढंग भी सिखाये जाते हैं । वर्ष 1972–73 में भारत सरकार ने इस योजना के लिए राज्य सरकार को अनुदान भी दिया । इस सम्बन्ध में प्रौढ़ों के लिए उनकी रूचियों के अनुसार पाठ्य सामग्री भी तैयार करवाई गई है । साक्षरता का यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, कृषि

सहकारी तथा उद्योग विभागों के सहयोग से तैयार किया जाता है ।

ग्राम शिक्षा मुहिम :-

6.4 प्रौढ़ शिक्षा की यह स्कीम (ग्राम शिक्षा मुहिम) महाराष्ट्र के नमूने के अनुसार चलाई जा रही है । यह योजना इस समय अम्बाला, करनाल तथा रोहतक में कार्यान्वित है। प्रत्येक ज़िला में 100,100 गांवों को चुना गया जहां इस स्कीम को आरम्भ किया गया है। यह स्कीम ज़िला शिक्षा अधिकारियों की देख रेख में चलाई जा रही है । प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को लगाया जाता है । इन्हें इसके अतिरिक्त कार्य के लिए 10 रुपए अतिरिक्त मासिक भत्ता भी दिया जाता है। वर्ष 1973-74 में इन जिलों में इस स्कीम को कार्यान्वित करने हेतु 1,58,860/- रुपए की बजट व्यवस्था भी की गई थी ।

इस स्कीम के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा के कार्य का विस्तार वर्ष 1972-73 से कुरुक्षेत्र, भिवानी और सोनीपत में भी आरम्भ कर दिया गया है । इस से पूर्व प्रौढ़ शिक्षा का कार्य करनाल, रोहतक, अम्बाला, हिसार और गुड़गांव में चल रहा था । ज़िला भिवानी, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, हिसार और गुड़गांवां के लिए 84,750 रुपए की व्यवस्था योजना बजट में की गई थी ।

अध्याय सातवां

स्त्री शिक्षा

7.1 देश के भविष्य के निर्माण का श्रेय स्त्री पर है । इसीलिए आज के समाज में स्त्री का सुशिक्षित होना पुरुष की अपेक्षा और भी अधिक आवश्यक है ।

पिछले सात वर्षों से शिक्षा विभाग का ध्यान स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से रहा है जिससे स्त्री शिक्षा में उत्साहपूर्ण प्रगति हुई है । स्त्री शिक्षा को और प्रोत्साहन देने हेतु रिपोर्टाधीन अवधि में कई प्रकार की सुविधायें की गई ताकि अधिक संख्या में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों से लड़कियां शिक्षा सुविधाओं का लाभ उठा सकें ।

(क) पहली से आठवीं कक्षा तक सभी राजकीय विद्यालयों में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है । उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों से लड़कों की अपेक्षा आधी ट्युशन फीस ली जाती है । राजकीय विद्यालयों में छटी से ग्यारहवीं कक्षा तक कन्याओं से फीस आधी ली जाती है ।

(ख) मदीना जिला रोहतक और नाहरा जिला सोनीपत में लड़कियों तथा महिला अध्यापकों के लिए संयुक्त छात्रावास का निर्माण किया गया है इसके अतिरिक्त तोशाम ज़िला भिवानी में भी ऐसा छात्रावास बनाया जा रहा है ।

(ग) नौवीं, दसवी और ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाली उन हरिजन लड़कियों को क्रमशः 20, 25, 30 रुपए की दर से योग्यता छात्रवृत्ति भी दी जाती है जो आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करती है । प्रत्येक कक्षा के लिए 50,50 छात्रवृत्तियां उपलब्ध है ।

(घ) विधवाओं, पतियों से अलग रहने वाली, विवाह विच्छेद वाली स्त्रीयों को जे0बी0टी0/ओ0टी0/नर्सरी प्रशिक्षण कक्षाओं में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है। इन प्रशिक्षण संस्थाओं में कुछ स्थान आरक्षित भी रखे जाते है। ऐसी स्त्रीयों की अधिकतम आयु में साधारणतः ढील दे दी जाती है। यह स्त्रीयां 31 वर्ष की आयु तक प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं जबकि पुरुषों की अधिकतम आयु केवल 26 वर्ष ही है।

(ड़) जिन स्थानों/गांवों में कन्याओं के लिए अलग स्कूल नहीं है वहां पर कन्याओं को लड़कों के स्कूलों में प्रवेश प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाती है।

छात्रवृत्तियां :

7.3 राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की अतिरिक्त छात्रवृतियां केवल लड़कियों को इस विचार से भी दी जाती है कि वह भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनके माता पिता अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा में बाधक न बन सके। अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग की लड़कियों को भी प्रोत्साहन देने के लिए महाविद्यालय स्तर पर उन लड़कियों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है जिनके माता पिता तथा संरक्षण की आय निश्चित सीमा से कम हो। राजकीय संस्थाओं को इस वर्ग की कन्याओं को निशुल्क शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष सहायता अनुदान भी दिया जाता है। कन्याओं को वर्ष 1973-74 में दी गई छात्रवृत्तियों का ब्योरा इस प्रकार है।

क्र0	छात्रवृत्ति का नाम	छात्रवृतियों की संख्या केवल लड़कियों के लिए	मासिक दर
1	2	3	4
	स्कूल स्तर :		
1.	मिडिल स्कूल छात्रवृत्ति	378	10/- रु0

1	2	3	4
2.	उच्च स्कूल योग्यता छात्रवृत्ति	411	15/– रु0
महाविद्यालय स्तर :–			
3.	राज्य योग्यता छात्रवृत्ति, उच्च उच्चतर माध्यमिक (प्रथम भाग)	48	22/– रु0
	(क) प्रैप	35	45/– रु0
	(ख) उच्चतर माध्यमिक (द्वितीय भाग)	63	45/– रु0
स्कूल स्तर पर :–			
4.	हरिजन छात्राओं के लिए योग्यता छात्रवृत्ति योजना		
	IX	50	20/– रु0
	X	50	25/– रु0
	XI	50	30/– रु0

महिला विद्यालयों की संख्या :–

7.4 वर्ष 1973–74 में केवल स्त्रीयों के लिए शिक्षा संस्थाओं की संख्या का विवरण इस प्रकार है :

संस्था का प्रकार	राजकीय	अराजकीय	कुल
मिडिल स्कूल	77	7	84
उच्च विद्यालय	98	74	172
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	20	2	22
महाविद्यालय	1	21	22

पिछले कुछ वर्षों से महिला विद्यालयों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है इसका कारण यह है कि उन स्थानों पर जहां कन्याओं के लिए अलग विद्यालय नहीं हैं कन्याएं लड़कों के स्कूलों में प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं। इन सुविधाओं के अतिरिक्त कन्याओं के लिए अलग प्राथमिक विद्यालय भी निम्नलिखि शर्तों पर खोले जा सकते हैं :

1. यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की मांग हो ।
2. यदि स्थानीय जनता स्कूल भवन के लिए प्रबन्ध करे ।
3. यदि 30 या 40 कन्याओं की संख्या स्कूल में प्रवेश होने के लिए उपलब्ध हो ।
4. यदि एक मील के दायरे में कोई और कन्याओं के लिए स्कूल न हो ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी कन्याओं के लिए अलग प्राथमिक ब्रांच विद्यालय खोल सकते हैं; यदि उस गांव में लड़कियों की संख्या प्रर्याप्त माता में हो और अतिरिक्त स्टाफ न देना पड़े ।

महिला छात्र संख्या :—

7.5 रिपोर्टाधीन अवधि में कन्या छात्राओं की संख्या भिन्न-भिन्न स्तर पर निम्नलिखित रही :—

शिक्षा स्तर	1973-74
पहली से पांचवीं	317140
छटी से आठवीं	84546
नौवीं से ग्याहरवीं	40719
महाविद्यालय स्तर पर	16,066

राज्य स्त्री शिक्षा परिषद :-

7.6 25-5-1973 से फिर राज्य स्त्री परिषद की दो वर्ष के लिए स्थापना की गई है । शिक्षा मंत्री इस परिषद के सभापति तथा राज्य शिक्षा मंत्री उप सभापति हैं । इसके अतिरिक्त सात सरकारी और तीन गैर-सरकारी सदस्य भी है । यह परिषद् सरकार की स्त्री शिक्षा की प्रगति हेतु सुझाव देने का है ।

अध्याय आठवां

शिक्षा सुधार कार्यक्रम

शिक्षा सुविधाओं के विकास के साथ-साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधारों की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया ताकि शिक्षा के स्तर में कोई न्यूनता ना रहे।

शिक्षा के स्तर को और ऊंचा करने और शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने हेतु राज्य में कई प्रकार की परियोजनायें चालू की हुई हैं ।

1. राज्य शिक्षा संस्थान :-

राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधारों के लिए वर्ष 1969-70 में की गई थी । तब से यह राज्य में शिक्षा सुधार कार्यक्रमों एवं अनुसधान का प्रमुख केन्द्र बना हुआ है। रिपोर्टाधीन अवधि में इस केन्द्र में कई प्रकार की संगोष्ठियां तथा सैमीनार आयोजित किये गए ।

वर्ष 1973-74 में इस सम्बन्ध में हुए कार्यक्रमों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :-

क्र0 संख्या	अनुभाग	सेवा कालीन प्रशिक्षण शिवर	भाग लेनें वालों की संख्या
1.	भाषा	6	209
2.	सेवा कालीन	12	205
3.	श्रव्य दृष्य	10	210
4.	प्रसार सेवा	5	110
5.	मुल्यांकन	6	153
6.	संदर्शन	5	182
7.	विज्ञान	2	47
	कुल जोड़	46	1161

वर्ष 1973 में 50 ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए 250 "key personnel" कुंजी व्यक्तियों को पांच और छः दिन का प्रशिक्षण दिया गया ताकि 3000 जे0 बी0 टी0 अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण सुयोग्य तथा ठीक ढंग से दिया जा सके। वर्ष 1974 में प्रशिक्षण के कार्य को और विकसित और विस्तृत करने के लिए 100 प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए 550 "key personnel" कुंजी व्यक्तियों को प्रशिक्षण किया गया।

संगोष्ठियां और सैमीनार आयोजित करने के अतिरिक्त राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा अध्यापकों को शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए विशेष रूप से पथ प्रदर्शन/मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए कई प्रकार की रोचक शैक्षणिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

पाठ्य पुस्तकें तथा पाठ्यक्रम :–

1. पहली से आठवीं श्रेणी तक का सामाजिक शिक्षा, साधारण विज्ञान गणित, अंग्रेजी, तथा हिन्दी के विषयों के पाठ्यक्रम संशोधनाधीन है और तदर्थ रूप में राज्य शिक्षा संस्थान गुड़गांव में पाठ्यक्रम समित्तियों का गठन किया गया।

   जे0 बी0 टी0 का पाठ्यक्रम भी संशोधित रूप से लागू किया जा रहा है।

2. स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, के सहयोग से राज्य शिक्षा संस्थान में एक पाठ्य पुस्तक कोष्ठ स्थापित किया गया और भिन्न–भिन्न विषयों के लिए पांच विशेषज्ञ नियुक्त किये गये। इस कोष्ट और एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 की जिन 11 पुस्तकों का संशोधन किया गया उन का विवरण इस प्रकार है:–

   1. पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक हिन्दी की पाठ्य पुस्तकें।
   2. तीसरी से पांचवी कक्षा तक साधारण विज्ञान।
   3. तीसरी से पांचवीं कक्षा तक सामाजिक अध्ययन।

इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित पाठय पुस्तकें लिखने का काम भी आरम्भ किया गया :–

1. अंग्रेजी छटी से सातवीं तक ।

2. भूगोल, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र छटी कक्षा के लिए।

पहली से पांचवी कक्षा तक (गणित विषय को छोड़ कर) एन0 सी0 इ0 आर0 टी0 की प्रकाशित पुस्तकों को कुछ उसी रूप में तथा कुछ में अनुकूल संशोधन करके वर्ष 1974 को अपनाई गई।

पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक (गणित विषय को छोड़कर) पहली से दूसरी के सामाजिक अध्ययन के विषय पर अध्यापक संदर्भ भी अध्यापकों के पथ प्रदर्शन के लिए तैयार की गई।

पाठ्य पुस्तकों में सुधार करते समय इस बात पर भी विशेष वल दिया गया कि भावात्मक एकता, धर्म निरपेक्षता और मानवीय आचरण सम्बन्धी विचारों को बढ़ावा मिले और हरियाणा की सांस्कृतिक तथा स्थानीय इतिहास और वीरों और महापुरुषों के बारे में विशेष जानकारी भी दी जाए ।

राज्य विज्ञान संस्थान :–

राज्य विज्ञान संस्थान की स्थापना अध्यापकों को वैज्ञानिक क्षेत्र में हो रहे नवीनतम अनुसंधानों से अवगत कराने तथा विज्ञान शिक्षण को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुई थी। रिपोर्टाधीन अवधि में इस संस्थान में कई प्रकार के सेवा कालीन प्रशिक्षण तथा प्रत्यासमरण कोर्सो का भी आयोजन किया गया।

सेवा कालीन प्रशिक्षण के अतिरिक्त विद्यार्थियों में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति जिज्ञासा तथा रुचि पैदा करने के लिए कई प्रकार की राज्य स्तर पर वैज्ञानिक संगोष्ठियां एवं वैज्ञानिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। रिपोर्टाधीन अवधि में 2-2-74 से लेकर 4-2-74 तक विज्ञान मेला आयोजित किया गया। इस मेले में 32 स्कूलों ने भाग लिया जो ज़िला स्तर पर आयोजित

मेले में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय रहे हैं। इस मेले में 152 विद्यार्थियों ने कई प्रकार के रोचक तथा अनुसंधानिक प्रयोगों का प्रदर्शन किया। सुयोग्य छात्रों को पारितोषिक भी वितरित किये गये।

विज्ञान शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली और सफल बनाने के लिए जे0बी0टी0 अध्यापकों के लिए सेवाकालिन अनुसंधान ओरियन्टेशन कोर्सों को आयोजित किया गया जिनमें 400 से अधिक अध्यापकों ने भाग लिया।

युनिसिफ के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षा सुधार कार्यक्रम :–

स्कूल स्तर पर यह स्कीम राज्य विज्ञान संस्थान में वर्ष 1970-71 से शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देशय प्राथमिक, माध्यमिक स्तर तक विज्ञान शिक्षा में सुधार लाने से था। युनिसिफ प्रोग्राम पायलेट स्कूलों के लिए विज्ञान कीटें तथा पुस्तकें बिना मुल्य के दी जाती हैं। वर्ष 1972-73 में यह स्कीम केवल 120 प्राथमिक और 120 माध्यमिक स्कूलों में चलाई गई थी रिपोर्टाधीन अवधि में वित्तीय कठिनाई के कारण इस परियोजना का और विस्तार नहीं किया जा सका।

वर्ष 1972-73 में जो अध्यापक इस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षण नहीं ले सके उन को विचाराधीन अवधि में प्रशिक्षण दिया गया जिस के लिए राज्य सरकार ने 28,000 रुपये की राशि खर्च के लिए स्वीकृत की।

कार्य अनुभव योजना :–

यह स्कीम बेसिक शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित है वर्ष 1973-74 में कार्यक्रम अनुभव योजना 240 विद्यालयों में चालू रखी गई जिस के लिए निम्नलिखित राशि की व्यवस्था की गई।

1.	100 उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (500 रुपये प्रति स्कूल)	50,000 रुपये
2.	60 माध्यमिक स्कूल (500 रुपये प्रति स्कूल)	30,000 रुपये
3.	80 प्राथमिक स्कूल (250 रुपये प्रति स्कूल)	20,000 रुपये

शाला संगम :–

वर्ष 1973-74 में किसी और विद्यालय में शाला संगम परियोजना शुरू नहीं की गई। वर्ष 1969-70 से 1972-73 तक जो 36 स्कूल इस स्कीम के अन्तर्गत आ चुके थे उन विद्यालयों को 1,000 रुपये प्रति विद्यालय के हिसाब से आवरण आधार पर 30,000 रुपये की राशि विद्यालयों, पुस्तकालयों, विज्ञान प्रयोगशालाओं और अन्य शिक्षण सुविधाओं की ओर सबल करने के लिए दी गई।

शिक्षा संस्थाओं में भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि :–

1. वर्ष 1973-74 में विद्यालयों के भवनों को विशेष मुरम्मत इत्यादि के लिए 4 लाख रुपये की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की मुरम्मत हेतु 2.50 लाख रुपये की राशि विकास विभाग के माध्यम से 29 पंचायत समितियों को दी गई।

2. रिपोर्टाधीन अवधि में सरकार ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारनौल के लिए 24.73 लाख रुपये खर्च किये। निर्माण का कार्यक्रम भी स्वीकृत किया। यह कार्य अभी आरम्भिक अवस्था में ही है।

3. निदेशालय द्वारा राज्य के भिन्न विद्यालयों को छात्र निधियों में से भौतिक सुविधाओं के सुधार हेतु तथा फर्नीचर, टाट इत्यादि की कमीयों को दूर करने के लिए 41,17,114 रुपये की राशि की विशेष स्वीकृतियां प्रदान की। इस स्वीकृत राशि से विद्यालयों में फर्नीचर, बिजली व पानी, शोचालय पंखे आदि की सुविधायें भी उपलब्ध की गई। जिन का जिला वार विवरण इस प्रकार है :–

जिला का नाम	राशि जो विशेष रूप से स्वीकृत की गई
अम्बाला	2,89,915 रुपये
कुरुक्षेत्र	1,16,885 रुपये

जिले का नाम	राशि जो विशेष रूप से स्वीकृत की गई ।
करनाल	3,37,888 रुपये
सोनीपत	2,16,465 रुपये
जीन्द	1,51,535 रुपये
गुड़गांव	10,89,308 रुपये
नारनौल	5,51,781 रुपये
भिवानी	2,19,000 रुपये
हिसार	5,73,700 रुपये
रोहतक	5,70,645 रुपये
	41,17,114 रुपये

इस के अतिरिक्त कई मुख्य निर्माण कार्य जिन का निर्माण पिछले वर्षों से जारी था, रिपोर्टाधीन अवधि में उन के निर्माण पर निम्नलिखित राशि खर्च की गई :–

क्र0 संख्या	निर्माण कार्य	वर्ष 1973-74 में खर्च की जाने वाली राशि
1.	राजकीय महाविद्यालय, हिसार	9,25,000 रुपये
2.	श्री बी0 एन0 सी0 राजकीय महा विद्यालय भिवानी	2,60,000 रुपये

1	2	3
3.	बी0 एन0 सी0 राजकीय महा विद्यालय भिवानी	1,87,000 रुपये
4.	राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	2,56,000 रुपये
5.	संयुक्त छात्रावास लड़के तथा अध्यापकों के लिए	1,06,000 रुपये

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्राथमिक स्कूलों में तीन लाख रुपये की राशि का और माध्यमिक स्कूलों में 25 हज़ार रुपए की राशि का बाल साहित्य भी वितरण किया,

अध्याय नौवां

विविध

शारीरिक शिक्षा:–

9.1 आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। स्कूलों में शरीरिक शिक्षा और खेलकूद त्रियाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एक–एक अध्यापक का पद भी बालकों में शारीरिक शिक्षा के विकास और खेलकूद क्रियाओं के लिए दिया गया हैं। पूर्व वर्ष के निर्णय के अनुसार वर्ष 1973–74 में किसी भी संस्था को सी0 पी0 एड0 प्रशिक्षण की कक्षाओं को आरम्भ करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि ऐसे अध्यापक पर्याप्त संख्या में थे।

नेशनल फिटनेस कौर:–

9.2 विद्यालयों में नैशनल फिटनेस कौर की योजना के अन्तंगत शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती है। यह योजना विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और चरित्र विकास के लिए भारत सरकार ने शुरू की थी। इस का कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। 1–10–72 से इस का प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य सरकार को सौंप दिया गया है।

इस प्रोग्राम के अन्तंगत स्कूलों के विद्यार्थियों को ड्रिल तथा अन्य कई प्रकार के शारीरिक व्यायाम लोक गीत, लोक नृत्य और दूसरे खेलकूद क्रियाओं में निपुणता दी जाती है। इस योजना के अधीन 367 एन0 डी0 एस0 अध्यापक हरियाणा राज्य के विभिन्न–2 राजकीय और अराजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

एन0 सी0 सी0:–

9.3 शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को सैनिक शिक्षा देने हेतु भारत

सरकार ने 1948 में एन0 सी0 सी0 स्कीम चालू की थी । यह स्कीम भारत सरकार रक्षा मन्त्रालय द्वारा बनाए गए नियमों अनुसार चलाई जा रही है। विद्यार्थियों की सेना की तीनों शाखाएं जल, थल तथा वायु से सेनाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है । महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के लिए सीनियर डिवीज़न तथा विद्यालय स्तर पर जूनियर डिवीज़न स्थापित किए हुए है। कन्या छात्राएं भी दोनों डिवीज़नों में थल सेना का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती है ।

वर्ष 1973–74 में हरियाणा राज्य में सीनियर और जूनियर डिवीज़न की बटालियन तथा उन में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निम्न–लिखित थी :–

सीनियर	बटालियन की संख्या	कैडिटों की संख्या
इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिए)	16	16,516
इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिए)	2	1,560
वायु सुकैडरन	2	400
जल बटालियन	1	191
योग	21	18667
जूनियर डिवीजन:–		
इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिए)	153	13554
इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिए)	10	886
जल विंग	5	1165
वायु विंग	14	380
योग	182	15,985

इसके अतिरिक्त ग्रुप हैड क्वार्टर की भी दो बटालियन हैं । रिपोर्टाधीन अवधि में एन0 सी0सी0 के लगभग 44 शिवर 17 एन0सी0सी0 अधिकारियों के नेतृत्व में लगे 6,566 कैडिटों ने इन शिवरों में भाग लिया ।

हरियाणा राज्य के जल यूनिट कुरूक्षेत्र के कैडिट कैप्टन पाला राम को दिनांक 18-1-1974 को गणतन्त्रदिवस शिवर के अवसर पर हुई सर्व भारतीय राज्य निदेशालय के कमीशन में दिव्तीय स्थान प्राप्त हुआ ।

विद्यार्थियों में नेतृत्व, अनुशासन, समाज सेवा और देश प्रेम को भावना को जागृत किया जाता है और युवा लड़के लड़कियों के चरित्र परिणाम पर भी विपेश बल दिया जाता है । इस स्कीम को चलाने का खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिल कर नियमनुसार करती है । इन कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1973–74 में 37 लाख रुपए की व्यवस्था की ।

एन0 एस0 एस0 स्कीम :–

6.4 महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तिव और भौतिक विकास के लिए भारत सरकार ने एन0एस0एस0 स्कीम लागू की है । हरियाणा के विद्यालयों में छात्रों के लिए यह स्कीम 1970–71 में शुरू हुई थी । शुरू में यह स्कीम 40 महा विद्यालयों में आरम्भ की गई। वर्ष 1973–74 में 30 और महाविद्यालयों में इस स्कीम के शुरू हो जाने से कुल 60 महाविदयाललयों में यह प्रोग्राम चलाया गया

भारत सरकार और राज्य सरकार में इस स्कीम के अर्न्तगत खर्चा की बांट 7:5 के अनुपात में है । वर्ष 1973–74 में 5,891 विद्यार्थियों ने भाग लिया और इस पर कुल खर्च 351 लाख रुपए हुआ ।

इस स्कीम के अर्न्तगत वर्ष 1973–74 में दर्भिक्ष के विपरीत एक अभियान "Youth Against Famine" चलाया गया । 24 महाविद्यालयों ने शिवर लगाए जिन में दो हजार छात्रों ने भाग लिया । इन शिवरों में दुर्भिक्ष से सम्बन्धित कई प्रकार की उपयोगी परियोजनाएं जैसे कि ग्रामीण तलाबों को गहरा करना, सड़कों को समतल बनाना, पेड़ लगाने के लिए गढ़ों को खोदना

इत्यादि पर कार्य किया गया ।

खेलकूद क्रियाएं :–

9.5 शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों को खेलकूद प्रतियोगितओं में भाग लेने का पूरा–पूरा अवसर भी प्रदान किया जाता है । जिला तथा राज्य स्तर पर होने वाली क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए लड़के तथा लड़कियों को अलग–अलग खेलों की टीमों तथा शिक्षा विभाग खेल कूद विभाग के परस्पर सहयोग से तैयार की जाती है । जिला प्रतियोगिताओं में जो टीमें आगे रहती हैं वह दूसरे जिलों की टीमों से खेलने के लिए भेजी जाती हैं ।

हरियाणा राज्य अखिल भारतीय खेल फैडरेशन का भी सदस्य है । अन्तर जिला तथा अन्तराज्य प्रतियागिताओं के लिए राज्य सरकार ने 12,000 रुपए अनुदान के रूप में दिए । 1973–74 में शरद् ऋतु में इन्दौर में हुई खेलों की प्रतियोगिताओं में हरियाणा वासकिट वाल और कब्बडी में दूसरा स्थान प्राप्त किया जयपुर में हुई शीत ऋतु की खेल प्रतियोगिता में लड़कों ने व्यायामिक खेलों में डिसक्सथरों में पांचवीं, 1500 मीटर की दौड़ में तीसरा हाई जम्प में चौथा, हैमर थरों में पांचवां और पौल चाल में छठा स्थान प्राप्त किया । इस के अतिरिक्त हरियाणा ने कुस्तियों में एक स्वर्णपदक, एक रजत पदक और ताम्र पदक जीता । कन्याओं ने जिम नास्टिक्स में ताम्र पदक और बासकेट बाल में दूसरा स्थान प्राप्त किया ।

महाविद्यालय स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिताएं विश्व–विद्यालयों के अनुभवी अध्यापकों के निरीक्षण में की जाती है । विश्वविद्यालय स्तर इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का प्रबन्ध विश्वविद्यालय को खेल कमेटी के सचिव द्वारा किया जाता है और दूसरे विश्व विद्यालय से खेलने के लिए टीमें भेजी जाती है ।

स्कूल फिडिंग कार्यक्रम :–

9.7 मध्यान्ह भोजन का लाभ राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने

वाले लगभग 3.80 लाख बाल भाग ले रहे हैं । बालकों को सी0एस0एम0 और सलाद आईल से बनी वस्तुएं खाने के लिए दी जाती हैं । कैयर संगठन द्वारा विद्यार्थियों के लिए 67,63,550 पौन्ड सी0 एस0 एम0 तथा 19,00,284 सलाद आईल दिया गया । इस सामग्री को बन्दरगाओं से स्कूलों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 15.50 लाख रुपए खर्च किए ।

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने हरियाणा के लिये 73,440 रुपए की व्यवस्था की । इस में से 61,440 रुपए की राशि राज्य के भिन्न–भिन्न खण्डों को इस सामग्री के किराए भाड़े के लिए व्यय करने के लिए दी गई ।

रैडक्रास निधि :–

9.8 रैड क्रास निधि संस्था का निसहाय, बिमार, जख्मी, अंगहीन और समाज के कमजोर व्यक्तियों की सेवा करने में विशेष स्थान है । जिला स्तर पर जूनियर रैड क्रास समितियां बनाई हुई हैं जिन के अध्यक्ष ज़िल शिक्षा अधिकारी है ।

रैड क्रास सभा के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान के लिए स्कूलों में विद्यार्थियों से प्राथमिक कन्याओं में पांच पैसे, मिडल कक्षाओं में दस पैसे और उच्च/उच्चतंर कक्षाओं में 15 पैसे प्रति छात्र मासिक चन्दा रैड क्रास निधि के रूप में लिया जाता है जिस का प्रयोग नियमों अनुसार संस्थाओं को रैड क्रास समितियां करती है । इस निधि को गरीब तथा योग्य विद्यार्थियों को पुस्तकें वर्दीया तथा बीमारी की दवाईयां इत्यादि दी जाती हैं । विद्यालयों में शौचालय और पीने आदि के पानी का प्रवन्ध भी इस फंड में से किया जा सकता है ।

पुस्तकालयों का विकास :–

9.9 10 जिलों में से अभी 6 में ही पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं अम्बाला छावनी में स्थित पुस्तकालय को राजकीय पुस्तकालय का दर्जा दिया गया है और शेष सभी जिला पुस्तकालय है। यह पुस्तकालय निम्नलिखित

जिला हैड क्वार्टर पर स्थापित हुए हैं —

1. अम्बाला
2. गुड़गांव
3. रोहतक
4. नारनौल
5. हिसार
6. जीन्द

वर्ष 1973–74 में इन पुस्तकालयों पर लगभग 1 लाख 90 हजार रुपए की राशि खर्च हुई जिस में एक लाख 10 हजार रुपए की पुस्तकें खरीदी गई। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय फाऊंडेशन को 60,000/रुपए का विशेष अनुदान इन पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की पूर्ति के लिए दिया गया।

भारत स्काउट तथा गाईड्स :

9.6 विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व, समाज सेवा और देश प्रेम की भावना को प्रोत्साहित करने में भारत स्काउट तथा गाईड के आन्दोलन का विशेष स्थान है। विद्यार्थियों के चरित्र पर भी विशेष बल दिया जाता है।

वर्ष 1973–74 मे निम्नलिखित प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन किया गया।

	शिवरों की संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
1. प्रथम श्रेणी स्काउट ट्रेनिंग कैम्प	3	196
2. स्पैशल क्षमता बेज ट्रेनिंग कैम्प	3	197
3. स्काउट मास्टर साहस ट्रेनिंग कैंप	1	9
4. एच0एस0 डब्ल्यू0 के0 ट्रेनिंग कैम्प	1	21
5. स्काउट मास्टर प्री ट्रेनिंग कैम्प	3	128

वर्ष 1973-74 में 128 स्काउट और 440 गाईड्स राष्ट्रपति के स्काउट गाईडस पारितोषिक के लिए चुने गए आदरणीय राष्ट्रपति ने इन्हें बंगलौर में प्रमाण-पत्र प्रदान किये।

रिपोर्टाधीन अवधि में इस संस्था को सरकार ने 56,000 रुपये का अनुदान दिया। स्काउट तथा गाईडस आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने रिपोर्टाधीन अवधि में 150 कब मास्टर/बुलबुल और 150 स्काउट गाईड्स की नई यूनिटों के बनाने के लिए 50,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान भी दिया गया है।

अनुसूचित जातियां/पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिक्षा के विकास के लिए सुविधाएं :

अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा शैक्षणिक, व्यवसायिक, तकनीकी इत्यादि के लिए विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना किसी भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं उन्हें राज्य की ओर से निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध हैं :-

1. पांचवी से एम0 ए0, एम0 एस0 सी0 कक्षाओं तक निशुल्क शिक्षा
2. नौवीं कक्षा से छात्रवृत्तियों की सुविधा
3. परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति ,

राज्य हरिजन कल्याण योजना :-

स्कूल स्तर पर इस वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध की गई और इसके लिए उनके माता पिता की आय की कोई, सीमा निर्धारित नहीं की गई। नौवीं, दसवीं और ग्याहरवीं कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृति 8 रु0 प्रति मास की दर से दी जाती हैं। महाविद्यालय स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृति निशुल्क शिक्षा तथा परीक्षा प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी प्रदान की जाती है। छात्रवृत्तियां तथा अन्य सभी प्रकार की वित्तीय सहायता

विद्यार्थियों को उनके माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय के आधार पर दी जाती है। वर्ष 1973–74 से वार्षिक आय की सीमा 1800 रुपये से बढ़कर 4200 रुपये कर दी गई है।

इस स्कीम के अन्तर्गत वित्तिय वर्ष 1973–74 में 32.0 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

वर्ष 1970–71 में स्कूल स्तर पर छात्रवृत्तियों को स्वीकृति करने की क्षमता जिला शिक्षा अधिकारियों को दे दी गई थी और वर्ष 1971–72 से यह क्षमता उप मण्डल शिक्षा अधिकारियों को दे दी गई है। वर्ष 1973–74 से राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भी अपने स्तर पर छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने की क्षमता दी गई है ताकि छात्रों को वित्तिय सहायता समय समय पर उपलब्ध हो सके।

भारत सरकार मैट्रिक उपरान्त अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्ति योजना :–

मैट्रिक उपरान्त स्तर पर अनुसूचित जाति तथा न्यून आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां, शिक्षा शुल्क तथा अन्य अनिवार्य रूप से ली जाने वाली शुल्क की राशि भी दी जाती है। प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों को डयोढ़ी दर से गुजारा भत्ता दिया जाता है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को निर्धारित दरों के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से 15 रुपये प्रतिमास अतिरिक्त छात्रावास भत्ता भी दिया जाता है। यह सभी प्रकार की छात्रवृतियां महाविद्यालयों के प्राचार्यों को स्वीकृत करने की क्षमता दे दी गई है और वित्तीय वर्ष में 23.82 लाख रुपये की वित्तीय सहायता छात्रों को छात्रवृत्तियों इत्यादि के रूप में दे दी गई।

नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाली हरिजन कन्याओं के लिए 150 छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है। 50 नई छात्रवृत्तियां हर वर्ष उन कन्याओं को दी जाती है जिन्होंने आठवीं कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। यह छात्रवृत्तियां केवल योग्यता के आधार पर ही दी जाती है।

इन छात्रवृत्तियों की मासिक दर नौवीं, कक्षा में 20/- रुपए, दसवीं कक्षा में 25/– रुपये, और ग्यारहवीं कक्षा में 30/– रुपये है।

नौवीं में दी गई छात्रवृत्तियां दसवीं तथा ग्यारहवीं में भी चालू रहती है यदि वह अपनी कक्षाओं में उत्तीर्ण हो जायें । वर्ष 1973–74 में इनके लिए 45,000 रुपये की व्यवस्था थी ।

विमुक्त जाति के छात्रों को सुविधाएं :–

विमुक्त जाति के छात्रों को स्कूल तथा कालेज स्तर पर छात्रवृत्तियां देने के लिए अलग से विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है। बर्ष 1973–74 में 43,300 रुपये की व्यवस्था छात्रवृत्तियां देने के लिए की गई थी ।

हरियाणा राज्य राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान :–

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान के कोष में से वर्ष 1973–74 में कई अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता दी गई ।

1. 30 रुपये से लेकर 100 रु0 प्रति मास की दर से 23 अध्यापकों के परिवारों को 13,900 रु0 की राशि स्वीकृत की गई ।
2. मृत अध्यापकों की लड़कियों की शादी के लिए तीन परिवारों को 2,500 रु0 की राशि वितृत की गई ।
3. वर्ष 1973–74 में 12 नई छात्रवृत्तियों के लिए 4800 रु0 और तीन पुरानी छात्रवृत्तियों के लिए 1800 रु0 की राशि स्वीकृत की गई । ताकि मृतक और अवकाश प्राप्त अध्यापकों के सुयोग्य बच्चे मैट्रिक उपरान्त शिक्षा प्राप्त कर सके ।
4. 14 अध्यापकों के परिवारों को 500 रु0 प्रति परिवार तदर्थ आधार पर वित्तीय सहायता दी गई ।
5. इसके अतिरिक्त कई प्रकार की और वित्तीय सहायता भी जरूरतमन्द अध्यापकों/परिवारों को दी गई ।

परिशिष्ठ 'क'

31-3-74 को निदेशालय स्तर कार्य करने वाले अधिकारी :-

क्र0 संख्या	पद का नाम	वर्ग	अधिकारी का नाम
1.	निदेशक शिक्षा	1	श्री जी0 बी0 गुप्ता, आई0 ए0 एस0
2.	–सम–	1	रिक्त
3.	संयुक्त निदेशक	1	श्री बी0एस0 माथुर
4.	उपनिदेशक	1	श्रीमती पी0 जे0आर0डी0 अहूजा
5.	–सम–	1	डा0 एस0एस0 गुप्ता
6.	–सम–	1	श्री जगदीश राज
7.	राज्य सर्वे अधिकारी	1	श्री के0 सी0 पल्टा
8.	सहायक निदेशक	11	जे0पी0 सुन्दर लाल
9.	–सम–	11	श्री बी0 एन0 दीवान
10.	–सम–	11	श्रीमती पुष्पा अबरोल
11.	–सम–	11	श्री विजय सिह यादव
12.	–सम–	11	श्री बाबू राम गुप्ता
13.	–सम–	11	श्री चन्द्र भान
14.	–सम–	11	श्री एस0एस0 कौशल
15.	–सम–	11	श्री बी0 आर0 बजाज
16.	प्रशासन अधिकारी	11	श्री मदन लाल
17.	लेखा अधिकागी	11	श्री डी0 आर0 तलवाड़
18.	–सम–	11	श्री जे0 पी0 रत्न
19.	रजिस्ट्रार शिक्षा	11	श्री प्रीतम सिंह
20.	सहायक रजिस्ट्रार परीक्षा	11	श्रीं गुरदियालसिंह
21.	बजट अधिकारी	11	श्री कृष्ण गोपाल

परिशिष्ठ 'ख'

31-3-74 को जिला स्तर पर तथा उप-मण्डल स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का विवरण :–

क्रम	जिला	जिला शिक्षा अधिकारी का नाम	उप मन्डल शिक्षा अधिकारी का नाम
1.	अम्बाला	कुमारी शान्ता राजदान	1. कुमारी एस0 सिंह
			2. श्री मती पी0 कपूर
			3. श्री धर्मवीर कपूर
2.	भिवानी	श्री ओ0 पी0 गुप्ता	1. श्री ओ0 पी0 सेठ
			2. श्री ओ0 पी0 दीवान
3.	गुड़गांव	श्री इकबाल चन्द बधावन	1. श्री आर0सी0 अंगीरा
			2. श्री मती पी0 चड्ढा
			3. श्री आर0 एस0 शर्मा
			4. श्री सोहन लाल भसीन
			5. श्री आर0 एल0 बहल
4.	हिसार	श्री मती संयुक्ता चड्ढा	1. श्री जे0 डी0 भटेजा
			1. श्री ज्ञानस्वरूप
			3. श्री जे0 एन0 कत्याल
5.	जींद	श्री आर0 एन0 सरीन	1. श्री हिरदय राम
			2. श्री जे0 पी0 शर्मा
6.	कुरुक्षेत्र	डा0 एस0 एन0 बत्रा	1. श्री जे0 के0 सूद
			2. श्री बी0 आर0 गोयल

1	2	3	4
7.	करनाल	श्री एम0 पी0 जैन	1. श्री पी0 एस0 मिश्रा
			2. श्री मती जानकी बाई
8.	महेन्द्रगढ़	डा0 एस0 एन0 राव	1. श्री अर्जुनदास तालीब
			2. श्री ओ0 पी0 गुसांई
			3. श्री सोहन लाल
9.	रोहतक	श्री सोहन लाल कैश्यप	1. श्री बी0एस0 पासी
			2. श्री सूरजमल
10.	सोनीपत	श्री धर्म देव चौधरी	1 श्री जगबीरसिंह
			2. श्री पी0 एस0 महता

परिशिष्ठ 'ग'

31-3-74 को वर्ग I तथा II के कुल पदों का विवरणः–

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्ग	कुल संख्या	पुरुष	स्त्रीयां
1.	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	1	14	12	2
2.	प्रोफैसर, राजकीय महाविद्यालय	1	7	5	2
3.	निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान, गुड़गांवा	1	1	1	–
4.	निदेशक, राज्य विज्ञान, संस्थान, करनाल	1	1	1	–
5.	निदेशक वोकेशनल, गाईडैंस	1	1	1	–
6.	जिला शिक्षा अधिकारी	1	10	7	3
7.	प्राचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	11	77	55	22
8.	प्राचार्य जे0बी0टी0 स्कूल	11	3	2	1
9.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	11	3	1	2
10.	विज्ञान परामर्शी	11	1	1	–

1	2	3	4	5	6
11.	मूल्यांकन अधिकारी	11	2	2	–
12.	परामर्शदाता	11	1	1	–
13.	मनोविज्ञान/वरिष्ठ प्राध्यापक	11	181	141	40
14.	उप मन्डल/उप जिला शिक्षा अधिकारी	11	37	25	12
15.	तकनीकी प्राध्यापक	11	7	7	–
16.	राज्य पुस्तकाध्यक्ष	11	1	1	–

3388—D.P.I.—H.G.P., Chd.